नगर परिषद परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.4.2013 से 31.03.2015

भाग—एक

1 **(क) प्रारम्भिकः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1—376/81—फिन(एल0ए0) —खण्ड—IV दिनांक 18.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद परवाणू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी नियन्त्रक, आहरण व संवितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत्त रहे।

अवधि	**अध्यक्ष का नाम**	**कार्यकारी अधिकारी का नाम**
1.4.13 से 31.3.15 तक	श्रीमती डेजी ठाकुर	श्री अजमेर ठाकुर

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

क्र0सं0	**गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**पैरा सं0**	**राशि ₹ लाख**
1	अनुदान की धनराशि व्यय/उपयोग हेतु शेष	5 (1)	46.40
2	स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना (SJSRY) की अनुदान धनराशि का समय से उपयोग न करना	5 (2)	1.17
3	राजीव आवास योजना (RAY) की अनुदान धनराशि का समय से उपयोग न करने के कारण सम्बन्धित लाभार्थियों को लाभों से वंचित करना	5 (3)	1.06

4	UIDSSMT (Water Supply Scheme for Parwanoo town) हेतु प्राप्त अनुदान धनराशि को समय से उपयोग करने की अपेक्षा लगभग एक वर्ष तक बैंक खाते में जमा रखने के कारण निधि को अवरूद्ध करना	5 (4)	327.40
5	वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ब्याज की हानि	6	0.56
6	गृहकर, सफाई व व्यापार कर की वसूली शेष	8	76.07
7	गृहकर की दर में वृद्धि न करने कारण वित्तीय हानि	8 (1)	248.73
8	दुकानों के देय किराए की वसूली हेतु शेष	9	3.02
9	सहायक आयुक्त (प्रोटोकोल) से किराये की राशि की वसूली न करना	10	28.49
10	मोबाईल टॉवर शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष	13	1.30
11	सामान्य भविष्य निधि से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बगैर अनियमित भुगतान	16	1.34
12	लोक सम्पर्क विभाग, हि0प्र0 के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों पर अनियमित व्यय	19	1.14
13	निर्माण कार्यों को तीन/पाँच लाख से कम भागों में बाँटने के कारण राशि का अनियमित भुगतान करना	21	94.13
14	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य की Deviation का ठेकेदारों को अनाधिकृत भुगतान	24	2.58

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

नगर परिषद परवाणू के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2015 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण दिनांक 20.3.2015 से 20.6.2015 तक श्री हेम राज भारद्वाज, सहायक नियन्त्रक द्वारा नगर परिषद परवाणू स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 7/2013 तथा 4/2014 एवं व्यय के लिए 4/2013 तथा 3/2015 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया। आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर परिषद कार्यालय परवाणू द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 **अंकेक्षण शुल्कः–**

अवधि 4/2013 से 3/2015 तक के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण शुल्क ₹59000/– आंका गया जिसे रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–09 को अदा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद परवाणू से सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 72/2015 दिनांक 17.6.15 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण एवं निरीक्षण शुल्क ₹59000/– की राशि को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला परवाणू के डिमांड ड्राफ्ट संख्या 761712 दिनांक 18.6.15 के माध्यम से पंजीकृत पत्र संख्या MCP/PWN/2015-1207-08 दिनांक 18.6.15 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेज दिया गया है।

4 **वित्तीय स्थितिः–**

नगर परिषद परवाणू की अवधि 4/2013 से 3/2015 तक के लेखाओं पर आधारित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	लेखा शीर्ष	आरम्भिक शेष (₹) में	आय/ प्राप्तियाँ (₹) में	कुल योग (₹) में	व्यय (₹) में	अन्तिम शेष (₹) में
	स्व स्त्रोत	18065495.89	44473097	62538592.89	62392597.13	145995.76
2013–14	अनुदान	2349438.00	20447453	22796891.00	13617501.00	9179390.00
	कुल जोड़	**20414933.89**	**64920550**	**85335483.89**	**76010098.13**	**9325385.76**
	स्व स्त्रोत	145994.76	36640906	36786901.76	36563237.84	223663.92
2014–15	अनुदान	9179390.00	53379531	62558921.00	57918571.00	4640350.00
	कुल जोड़	9325385.76	90020437	99345822.76	94481808.84	4864013.92
	दिनांक 31.3.15 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही के अनुसार शेष					₹4864013.92
	दिनांक 31.3.15 को बैंक खातों के अनुसार शेष (**परिशिष्ट "ख"** के अनुसार)					₹5367092.92
	दिनांक 31.3.185 को वित्तीय स्थिति एवं बैंक खातों में दर्शाए गये शेषों में अन्तर (5367092.92–4864013.92)					503079

बचत खातों में दिनांक 31.3.15 को अन्तिम शेष का विवरण

क्रमाँक	बैंक का नाम	खाता संख्या	अन्तिम शेष (₹) में
1	TDRs in Bank		शून्य
2	SBOP	55090327147	1900650.49
3	SBOP	55090327169	16975.41
4	PNB	29120001000143856	81414.90
5	CBI	3271908498	25133.00
6	SBI	30102209380	27497.00
7	JCCB	11432 (old) 101534029000065 (New)	665927.95
8	Canara Bank	3237101000093	135498.00
9	BOB	12800100011172	1229619.00

10	HDFC Bank	21031450000044	1230142.17
11	UCO Bank (SWM)	15954	54235.00
		कुल जोड़	**5367092.92**

(A) Bank Reconciliation Statement AS on 31.03.15

Closing Balance as per Cash Book/Financial Position ₹4864013.92

ADD Cheques issued but not presented for payments till 31.03.15 (As per **Annexure "ख"**

1) SBOP A/C 55090327147 3500

2) JCCB A/C 101534029000065 2472

3) BOB A/C 12800100011172 497107 503079

Balance in Blanks as per saving A/C & FDRS **₹5367092.92**

5 अनुदानः—

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा **परिशिष्ट "ग"** के माध्यम से अंकेक्षण को अवधि 4/2013 से 3/2015 के दौरान अनुदान की प्राप्तियों एवम व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए विवरण का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः—

(1) ₹46.40 अनुदान की धनराशि 31.3.2015 को व्यय/उपयोग हेतु शेषः—

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानो की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को ₹4640350 की अनुदान राशि व्यय/उपयोग हेतु शेष थी। अतः इन अनुपयोग अनुदान राशियों को सक्षम प्राधिकारी से उपयोग की समय बढ़ौतरी प्राप्त कर उन्ही उद्देश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिस उद्देश्य हेतु इन्हें स्वीकृत किया गया था।

(2) स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (SJSRY) की ₹1.17 लाख की अनुदान धनराशि का समय से उपयोग न करनाः—

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना (SJSRY) से सम्बन्धित अनुदान व खर्च की गई धनराशि बारे विश्लेषण निम्न प्रकार से हैः—

वित्तीय वर्ष	अनुदान का आरम्भिक शेष (₹) में	वित्तीय वर्ष में अनुदान से प्राप्त धनराशि (₹) में	अनुदान से उपलब्ध कुल धनराशि (₹) में	वित्तीय वर्ष में अनुदान से कुल व्यय (₹) में	अनुदान की अनुपयोग धनराशि का अन्त शेष (₹) में	वित्तीय वर्ष में अनुदान से कुल व्यय की प्रतिशतता
2013–14	54134	3361	574951	शून्य	57495	0%
2014–15	57495	59620	117115	शून्य	117115	0%

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट विदित होता है कि SJSRY योजना हेतु उपलब्ध धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में शून्य धनराशि ही खर्च की गई इस प्रकार उपलब्ध धनराशि का 100% उपयोग न करने के कारण ₹1.17 लाख की सरकारी निधि अवरूद्ध हुई जिसके परिणामस्वरूप सरकार की विकासात्मक योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ा। यह स्थिति निदेशक व सचिव, स्थानीय शहरी निकायें, हिमाचल प्रदेश के ध्यान में अनुदानों की धनराशि का उपयोग समयानुसार सुनिश्चित करवाए जाने हेतु लाई जाती है।

(3) राजीव आवास योजना (RAY) के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान धनराशि ₹1.06 लाख को समय से उपयोग न करने के कारण सम्बन्धित लाभार्थियों को लाभें से वंचित करनाः–

राजीव आवास योजना (RAY) से सम्बन्धित उपलब्ध अनुदान व खर्च की गई धनराशि बारे विश्लेषण निम्न प्रकार से थाः–

वित्तीय वर्ष	अनुदान का आरम्भिक शेष (₹) में	वित्तीय वर्ष में अनुदान से प्राप्त धनराशि (₹) में	अनुदान से उपलब्ध कुल धनराशि (₹) में	वित्तीय वर्ष में अनुदान से कुल व्यय (₹) में	अनुदान की अनुपयोग धनराशि का अन्त शेष (₹) में	वित्तीय वर्ष में अनु.दान से कुल व्यय की प्रतिशतता
2013–14	106000	शून्य	106000	शून्य	106000	0%
2014–15	106000	शून्य	106000	शून्य	106000	0%

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट विदित होता है कि RAY योजना हेतु उपलब्ध धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में शून्य धनराशि ही खर्च की गई जबकि यह धनराशि परिषद द्वारा दिनांक 28.4.11 को प्राप्त की गई थी। इस प्रकार उपलब्ध धनराशि का लगभग चार वर्षों से 100% उपयोग न करने के कारण ₹1.06 लाख की सरकारी निधि अवरूद्ध हुई

जिसके परिणामस्वरूप सरकार की विकासात्मक योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ा। यह स्थिति निदेशक/सचिव, स्थानीय शहरी निकायें, हिमाचल प्रदेश के ध्यान में अनुदानों की धनराशि का उपयोग समयानुसार सुनिश्चित करवाए जाने हेतु लाई जाती है।

(4) UIDSSMT (Water Supply Scheme for Parwanoo town) हेतु प्राप्त अनुदान राशि ₹327.40 लाख को समय से उपयोग करने की अपेक्षा लगभग एक वर्ष तक बैंक खाते में जमा रखने के कारण निधि को अवरूद्ध करनाः–

निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या ULB-H (C) –(10)-10/90-311-323 दिनांक 3.4.2014 द्वारा परिषद को ₹327.24 लाख की अनुदान राशि UIDSSMT योजना के अन्तर्गत परवाणु शहर के लिए Water Supply Scheme हेतु स्वीकृत की गई थी जोकि जी–8 संख्या 08–353 दिनांक 7.4.14 के माध्यम से प्राप्त की गई थी। इस राशि को अल्पकालिक सावधिक जमा में निवेशित रखा गया। तदोपरान्त राशि को हिमुडा परवाणु के पास Deposit कार्य के विरूद्ध पत्र संख्या MC/PWN/2014-26-27 द्वारा दिनांक 15.1.2015 को जमा करवाया गया। वर्णित तथ्यों से स्पष्ट विदित होता है कि अनुदान धनराशि को समय से उपयोग करने की अपेक्षा लगभग एक वर्ष तक बैंक खाते में जमा रखने के कारण निधि को अवरूद्ध किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता है। जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा परामर्श दिया जाता है की अनुपयोग अनुदान राशि को सक्षम प्राधिकारी से उपयोग की समय बढ़ौतरी प्राप्त कर उसी उद्देश्य हेतु खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिस उद्देश्य हेतु इसे स्वीकृत किया गया था। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(5) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करनाः–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण की अवधि 4/2013 से 3/2015 के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था अर्थात इसमें प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान में से किए गए व्यय का विस्तृत विवरण नहीं रखा गया था जिसके अभाव में अनुदान से किए गए व्यय व तदानुसार जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की अंकेक्षण में सत्यापना नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 निवेशः–

अंकेक्षण अवधि के अन्त में विभिन्न खातों में निवेशित राशि का विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है। अंकेक्षण अवधि के दौरान निवेश से सम्बन्धित पाई गई अनियमितताएं निम्न प्रकार से है जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण ब्याज राशि ₹0.56 लाख की हानिः–

सावधिक जमा लेखों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की अपेक्षा बैंक ऑफ बड़ोदा में एक ही तिथि को एक समान अवधि के लिए कम ब्याज दर पर राशि सावधिक जमा में निवेशित की जिसके कारण निम्न विवरण अनुसार ₹55619/– की ब्याज से आय की हानि उठानी पड़ी। अतः बैंक ऑफ बड़ोदा में कम ब्याज दर पर सावधि जमा में निवेश के कारणों को स्पष्ट करते हुए ब्याज के रूप में कम प्राप्ति की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

निवेश तिथि	सावधिक जमा रसीद संख्या	निवेशित राशि	निवेश अवधि	BOB द्वारा दिए गए ब्याज की दर	SBOP द्वारा दिए गए ब्याज की दर	ब्याज की दर में अन्तर	ब्याज से आय की हानि	सावधिक जमा रजिस्टर पृ0सं0 व क्रमाँक
16.4.14	803749	31.35 लाख	8 महीने	6.50%	8.25%	1.75%	36715	40 व 35
4.10.14	1280030 0008101	1.00 करोड़	46 दिन	6.50%	8.00%	1.50%	18904	42 व 44
					कुल जोड़		**55619**	

7 दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख रखाव न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों/वर्गीकृत खाता बहियों का रख रखाव नहीं किया जा रहा था जबकि निदेशक, शहरी

विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 1.4.09 से दोहरी लेखा पद्धति के आधार पर लेखों का रख रखाव करने के निर्देश दिए गए थे। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 7 में भी इस अनियमितता का उल्लेख होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही न करना एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख को तैयार करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित रजिस्टर/अभिलेख का भी परिषद द्वारा रख रखाव नहीं किया गया था।

1 कॉन्ट्रेक्टर लैजर

2 निर्माण कार्य रजिस्टर

8 गृहकर, सफाई व व्यापार कर की राशि ₹76.07 लाख वसूली हेतु शेषः–

परिशिष्ट "घ" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना व निम्न विवरण अनुसार ₹7607435 की राशि दिनांक 31.3.15 को गृह कर, सफाई कर व व्यापार कर की वसूली हेतु शेष थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 24 प्रकरणों में ही गृह कर व सफाई कर की ₹65.58 लाख की राशि वसूली हेतु शेष थी तथा इनमें से भी कई प्रकरणों में पिछले 2–10 वर्षों से कोई वसूली नहीं की गई थी (**परिशिष्ट संख्या "ङ"**) जबकि व्यापार कर के प्रकरण में वार्षिक माँग 20000 के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2013–14 में केवल ₹550 3**%** तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹2850/– की ही वसूली हुई थी जोकि नगण्य है। (**परिशिष्ट संख्या "घ"**) तथा इसके कारण वसूली योग्य राशि प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा गृहकर की वसूली हेतु अन्तशेष की उपलब्ध करवाई गई सूचना भी सही प्रतीत नहीं होती क्योंकि सूचित अधिशेष से अधिक राशि तो वर्णित 25 प्रकरणों में ही बनती है। अतः वर्णित शेष राशि की वसूली हेतु विशेष पग उठाया जाने के साथ–साथ अभिलेख का अद्यतन करते हुए अन्तशेष की सही स्थिति परिलक्षित करना भी सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**विवरण**	**31.3.15 को वसूली हेतु शेष राशि**
1	गृहकर	6546014
2	सफाईकर	894421
3	व्यापार कर	167000
		7607435

(1) गृह कर की दर में वृद्धि न करने के कारण राशि ₹248.73 लाख की वित्तीय हानिः—

निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0डी0एच0 (सी)(10)—7/98—II दिनांक 17.11.2003 के अनुसार अवधि 2002—03 में 7.5**%** की दर से गृहकर लगाकर इसमें प्रति वर्ष 1**%** की वृद्धि करके अवधि 2006—07 तक गृह कर की दर को 12.5**%** किया जाना अपेक्षित था किन्तु परिषद द्वारा नियमानुसार कोई वृद्धि नहीं की गई जिसके परिणाम स्वरूप परिषद को निम्नविवरण अनुसार ₹24872936 की गृह कर की हानि हुई। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण अवधि 4/2011 से 3/2013 तक के पैरा 8.3 द्वारा भी परार्श दिया गया था किन्तु उसके बावजूद भी सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाई अमल में न लाना गम्भीर अनियमितता है। अतः पुनः परामर्श दिया जाता है कि सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	**7.5% की दर से गृहकर की मांग की राशि (₹) में**	**12.5% की दर से गृह कर की अपेक्षित मांग की राशि (₹) में**	**अन्तर (₹) में**
2013—14	18654702	31091170	12436468
2014—15	18654702	31091170	12436468
कुल जोड़	**37309404**	**62182340**	**24872936**

(2) कर सम्बन्धित अभिलेख का अद्यतन न करनाः—

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि कर सम्बन्धित अभिलेख का समय—समय पर अध्यतन नहीं किया जा रहा था। गृहकर व सफाई कर के 95**%** प्रकरणों में अंकेक्षण अवधि के दौरान देय कर का निर्धारण व माँग सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी जबकि व्यापार करके प्रकरणों में यह अनियमितता 100**%** पाई गई इससे स्वतः ही स्पष्ट होता है कि परिषद द्वारा अभिलेखों का रख रखाव व अद्यतन नियमानुसार नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः कर अभिलेखों का समय—समय पर नियमानुसार रख रखाव व अद्यतन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 दुकानों के देय किराए राशि ₹3.02 लाख वसूली हेतु शेषः—

परिशिष्ट "ङ" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दुकानों के किराया राशि ₹302314 दिनांक 31.3.15 वसूली हेतु शेष थी। इस राशि की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.1 सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि सभी दुकानों के किरायेदारों के साथ किए गए अनुबन्ध वर्ष 2009 में ही समाप्त हो गये थे इनका समय—समय पर अद्यतन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त पूर्व में किये गये अनुबन्धों में किराया देरी से जमा करने हेतु न तो कोई दंड का ही प्रावधान था और न ही किराये में समयकालिक वृद्धि का ही, जोकि गम्भीर चूक है जिसके कारण वसूली योग्य राशि प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा किराये अनुबन्धों का नियमानुसार समुचित प्रावधानों सहित तुरन्त अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 सहायक आयुक्त (प्रोटोकोल) से किराये की राशि ₹28.49 लाख की वसूली न करनाः—

सहायक आयुक्त (प्रोटोकोल) को नगर परिषद परिसर में माह 10/92 से दो कमरे किराये पर दिए गए थे। नगर परिषद के प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 4.2.2001 के अनुसार अवधि 10/92 से 4/2001 तक के लिए पत्र संख्या MC/PWN/Office/2001-324 दिनांक 17.4.2001 द्वारा राशि ₹1051733/— के देय किराये का बिल सहायक आयुक्त (प्रोटोकोल) को दिया गया था। इस प्रकार अवधि 3/2013 तक ₹2602798/— की राशि वसूली हेतु शेष थी जोकि निम्न विवरण अनुसार अब अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तिथि को ₹2849134 शेष बनती है। अतः यह प्रकरण आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि लम्बे समय से लम्बित किराये की वसूली सुनिश्चित हो सके तथा परिषद की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होः—

1	आरम्भिक शेष दिनांक 1.4.13	2602798
2	अवधि 1.4.13 से 31.3.14 तक देय किराया	123168

3	अवधि 1.4.14 से 31.3.15 तक देय किराया	123168
	दिनांक 31.3.15 को देय किराये की कुल राशि	2849134

11 अस्थाई अग्रिमों की ₹0.32 लाख की राशि समायोजन हेतु शेषः–

परिशिष्ट संख्या "च" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.15 अस्थाई अग्रिमों की राशि ₹32000/– लगभग पिछले दो वर्षों से समायोजन हेतु शेष थी। लम्बे समय तक अग्रिम राशियों का समायोजन हेतु शेष रहना एक गम्भीर अनियमितता है। इस राशि में ₹30000/– की राशि तो स्थानान्तरण हो चुके कनिष्ठ अभियन्ता से सम्बन्धित है जिसका समायोजन उनके स्थानान्तरण से पूर्व सुनिश्चित न किया जाना भी एक गम्भीर अनियमितता है। अतः समस्त अस्थाई अग्रिम की राशि के समायोजन हेतु नियमानुसार तुरन्त विशेष पग उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 बिजली उपकर की प्राप्ति न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG (B) (1)-9/94 दिनांक 8.11.99 एवं हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर उपयोग की गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर प्राप्त करके सम्बन्धित नगर परिषद को अदा करना था। **परिशिष्ट संख्या "छ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार परिषद द्वारा वित्तीय वष 2014–15 की अवधि दिनांक 1. 6.14 से 31.3.15 तक का बिजली उपकर प्राप्त नहीं किया गया था जिसकी प्राप्ति सम्बन्धित विभाग से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 मोबाईल टॉवर शुल्क राशि ₹1.30 लाख वसूली हेतु शेषः–

परिशिष्ट संख्या "ज" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.15 को मोबाईल टॉवर शुल्क की राशि ₹130000/– वसूली हेतु शेष थी। इसके अतिरिक्त मोबाईल टॉवर शुल्क के मांग व संग्रहण रजिस्टर का उचित व स्वतंत्र रूप से रख रखाव तथा अद्यतन नहीं किया गया था। अतः माँग व संग्रहण रजिस्टर का उचित व स्वतंत्र रूप से रख–रखाव तथा उक्त वर्णित राशि की नियमानुसार देय Renewal Fee देय कालिक बढौतरी (Periodic increase) सहित, की वसूली हेतु तुरन्त विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 पैन्शन व ग्रेच्युटी फंडः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान पैन्शन व ग्रेच्युटी फंड की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "झ"** के अनुसार निम्न प्रकार से हैः–

वित्तीय वर्ष	**आरम्भिक शेष (₹) में**	**अभिदान/अंशदान राशि (₹) में**	**ब्याज से प्राप्त राशि (₹) में**	**कुल योग (₹) में**	**व्यय (₹) में**	**अन्तिम शेष (₹) में**
2012–13	7430716	1430820	601003	9462539	348402	9114137
2013–14	9114137	1914212	160241	11188590	726019	10462571
	दिनांक 31.3.15 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष					10462571
	दिनांक 31.3.15 को बैंक खाते के अनुसार शेष					10462571
	शेष में अन्तर					शून्य

दिनांक 31.3.15 को बैंक खाते के शेष का विवरण

Name of Bank	**Type of A/C**	**A/C Receipt No.**	**Amount (₹)**	**FDR Register Page No.**
JCCB Parwanoo	Saving	4209	4915359	
-do-	FDR	039970	2549932	33
-do	FDR	134175	2997280	38
		कुल जोड़	**10462571**	

(1) ₹49.15 लाख की राशि को बचत खाते में जमा रखनाः–

दिनाँक 31.3.2015 को निधि के बैंक बचत खाते में ₹49.15 लाख की बड़ी रकम शेष जमा थी। इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इतनी बड़ी राशि को बचत खाते में जमा रखने की अपेक्षा परिषद की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये अल्प व दीर्घकालिक सावधिक जमा में निवेशित करने की सम्भावना को तलाशा जाए ताकि निधि से सम्बन्धित गतिविधियों को प्रभावित किए बिना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

15 अंशदायी पैन्शन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियो ंको प्रत्यार्पणीय अग्रिम का अनियमित भुगतान (वाउचर संख्या 8 दिनांक 1.4.13=₹177106)

चयनित माह के वेतन बिलों का उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित कर्मचारियो ंके वेतन से अंशदायी पैन्शन योजना से स्वीकृत प्रत्यार्पणीय अग्रिम की वसूली की गई थी। प्रत्यार्पणीय अग्रिमों का विवरण निम्न प्रकार से था।

क्रमाँक	कर्मचारी का नाम	स्वीकृत अग्रिम की राशि व तिथि	स्वीकृति तिथि को पूर्व स्वीकृत अग्रिम से वसूली हेतु शेष राशि	वसूली हेतु कुल अग्रिम की राशि	वसूल की गई अग्रिम की कुल राशि	दिनांक 31.3.15 को वसूली हेतु अग्रिम की शेष राशि	अग्रिम रजिस्टर पृष्ठ संख्या
1	श्री राम राज, बेलदार	60000 / 1.1.15	5000	65000	6000	59000	135
2	श्री सुच्चा सिंह, बेलदार	30000 / 1.10.11	शून्य	30000	30000	शून्य	106
3	श्री रामानन्द, सफाई कर्मचारी	30000 / 17.1.14	10000	40000	26000	14000	79
4	श्री सुभाष कुमार, सफाई कर्मचारी	30000 / 19.12.12	शून्य	30000	30000	शून्य	114
5	श्री सत पाल, सफाई कर्मचारी	30000 / 1.11.12	शून्य	30000	29000	1000	92
		कुल जोड		**195000**	**121000**	**74000**	

नियमानुसार सेवाकाल के दौरान अंशदायी पैन्शन योजना खाते से अग्रिमों की स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उक्त वर्णित कर्मचारियो को अग्रिम स्वीकृत करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है जिसका समाधान अब दिनांक 31.3.15 को वसूली हेतु शेष अग्रिम की राशि को सम्बन्धित कर्मचारियों से तुरन्त वसूल करके निधि में जमा की जाए तथा भविष्य में नियमों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित की जाए और कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 सामान्य भविष्य निधि से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹1.34 लाख का अनियमित भुगतानः–

चयनित माह के व्यय एवम अदायगी के वाउचरों तथा सेवा निवृत कर्मचारियों को किए गए भुगतानों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ लेखा परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को कार्यकारी अधिकारी द्वारा सा0भ0 निधि से अन्तिम भुगतान/आहरण की स्वीकृतियाँ प्रदान की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित Himachal Pradesh Municipalitie Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 के नियम 13 (i) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "The advances withdrawls and final payment from G.P.F Shall be Sanctioned by Director. अतः कार्यकारी अधिकारी द्वारा सा0भ0 निधि से स्वीकृत अन्तिम भुगतान/आहरण की राशियाँ उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस सम्बन्ध में अब निम्नलिखित प्रकरणों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	वा0सं0 व दिनांक	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	अन्तिम भुगतान की राशि (₹) में	अभियुक्ति
1	46 ऑफ 4/2013	श्री जोगेन्द्रर सिंह, बेलदार	60000	
2	13 ऑफ 3/2015	श्री मनोहर लाल वर्मा, लिपिक	50000	आहरण की राशि PPF में जमा करवाने के लिए स्वीकृति की गई जोकि नियमानुसार मान्य कारण नहीं है।

3	44 ऑफ 3/2015	श्री अजमेर ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी	24000	आहरण की राशि LIC प्रीमियम जमा करवाने के लिए स्वीकृत की गई जोकि नियमानुसार मान्य कारण नहीं है।
			134000	

17 सामान्य भविष्य निधि, पैशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लेखों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिसूचना संख्या LSG B(1)-1/79/III दिनांक 25.4.2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pensionm Grauity & General Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए है। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को पैन्शन लाभों की अदायगी के उद्देश्य हेतु निदेशक द्वारा पैन्शन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ–2 इसका रख रखाव भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस नियम के उप नियम (3) में यह प्रावधान भी किया गया है कि नगरपालिकाऐं कर्मचारियों के समय वेतनमान के अधिकतम पर क्रमशः 12**%** तथा 5**%** की दर से पैन्शन व ग्रेच्युटी का माहवार अभिदान उक्त पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करवायेगी। उक्त नियमों के नियम 9 में आगे यह भी प्रावधान किया गया कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख रखाव भी निदेशक द्वारा ही किया जाएगा।

नगर परिषद के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि

(1) उक्त वर्णित निधियों के लेखों का रख रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर परिषद द्वारा ही किया जा रहा था जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है।

(2) नियमानुसार पैन्शन, ग्रेच्युटी, सामान्य भविष्य निधि एवं अंशदायी पैन्शन योजना का अलग–अलग बैंक बचत खाता/बही खाता का रख रखाव किया जाना अपेक्षित है किन्तु इसके प्रतिकूल परिषद द्वारा अंशदायी पैन्शन योजना व सामान्य भविष्य निधि के बैक में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के व्यक्तिगत बचत खाते खोल रखे थे जिसमें सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पैन्शन योजना का नियोक्ता हिस्सा व अंशदायी पैन्शन योजना का कर्मचारी का अभिदान जमा किया जा रहा था जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है तथा अनियमित है।

(३) **परिशिष्ट "ञ"** द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोंकन से स्पष्ट विदित होता है कि अंशदायी पैन्शन योजना व सामान्य भविष्य निधि के खातों से निवेश भी केवल दो ही कर्मचारियों के व्यक्तिगत नाम में पी0पी0एफ0/किसान विकास पत्र में किया गया था जबकि शेष कर्मचारियों की राशि उनके परिषद द्वारा खोले गए बचत खातों में शेष जमा रखी जा रही थी जिस जमा पर बैंक द्वारा बचत खाते का ब्याज जोकि केवल 4**%** है, दिया जा रहा था तथा इस प्रकार बचत राशि को सावधिक जमा में निवेश न करके कर्मचारियों को ब्याज रूप में भी धन की लगातार हानि हो रही थी और नियमानुसार निवेशों का संचालन नहीं किया जा रहा था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

अतः यह मामला सचिव/निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय के ध्यान में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने हेतु लाया जाता है।

18 कर्मचारियों से लाईसैन्स फीस ₹0.05 लाख की वसूली न करनाः–

चयनित माह के वेतन बिलों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित कर्मचारियों से लाईसैन्स फीस की वसूली नहीं की गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए लम्बित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमाँक	कर्मचारी का नाम व सेट संख्या	आबंटन पत्र संख्या व दिनांक	अवधि	दर	वसूली की राशि	अभियुक्ति
1	Sh. Manohar Lal Clerk (2)	MC/PWN/2013, 1 38-39 dated 28.01.13	2/13 to 2/15=25M	106	2650	
2	Sh. Prem Singh Clerk (01)	MC/PWN/2013, 1 40-41 dated 28.01.13	2/13 to 2/15=25M	106	2650	
			कुल जोड़		**5300**	

19 लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों को दिए गए विज्ञापनों पर ₹1.14 लाख का अनियमित व्ययः–

चयनित माह के भुगतान वाउचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा निम्न विवरण अनुसार विज्ञापन छपवाने पर ₹114416/– का खर्च किया गया था।

क्रमाँक	वा0सं0 व दिनांक	विज्ञापन की एजेन्सी बिल संख्या व दिनांक	विज्ञापन की राशि (₹) में	विज्ञापन का उद्देश्य/अभियुक्ति
1	36/20.4.13	Divya Himachal Parkashan Pvt.		
		Ltd Bill No. 157996/14.03.13	3743	
		No. 157090/6.3.13	2807	Public Notice
		No. 157108/6.3.13	3275	
		Total Amount	**9825**	
2	37/20.4.13	Amar Ujala Bill No.		
		13030585/12.3.13	3058	Public Notice
		No. 13030480/12.3.13	19116	
		Total Amount	**22174**	
3	38/20.4.13	Himachal Dustak Media Pvt.Ltd		
		Kangra Bill No. 6252/6.3.13	5600	Public Notice
		7004/27.3.13	3000	होली पर्व की शुभकामनायें
		Total Amount	**8600**	
4	39/20.4.13	The Hind Samachar Ltd. Bill no.		
		1002313445/6.3.13 (Pb. Kesri)	2316	Public Notice
5	40/20.4.13	Shoolini Samachar		
		Bill No. 3040/11.03.13	1200	Auction Notice
		Bill No. 3041/11.03.13	1200	
		Bill No. 3042/11.3.13	1200	
		Total Amount	**3600**	

6	41/20.4.13	Prithvi Lok Weekly Hamirpur Bill No. 339/14.03.13	1500	Subscription for 3 years
7	42/20.4.13	Himachal Kesri Dharamshala Bill No. 848/11.03.13	4000	Public Notice
8	43/20.4.13	Him Manas Prakashan Smooh Hamirpur Bill No. 710/16.3.13	3000	Tender Notice
9	44/20.4.13	Apka Faisla Parkasan Pvt. Ltd. Hamirpur Bill No. 21040/27.3.13	3000	होली की देशवासियों को शुभकामनायें
10	11/2.3.15	The Indian Express Ltd. Bill no. 1001991577/3.12.14	3072	Notice inviting Quotations
11	11/2.3.15	The Tribune Trust Chandigarh Bill no. GTT/141200280/20.12.14	14838	Tender Notice
12	22/5.3.15	Dainik Bhaskar Group of Publication Shimla Bill No. 707710067/09.06.14, 707781952/05.07.14, 51416/08.08.14	5796 8695 18000	Public Notice/Tender Notice
		Total Amount	**32491**	
13	23/5.3.15	Shoolini Samachar Shimla Bill no. 3344/25.8.14 Bill No. 3394/7.10.14 Total Amount	3000 3000 6000	स्वतन्त्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनायें दीपावली के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनायें
		कुल जोड़	**114416**	

विज्ञापनो पर किये गये उक्त व्यय पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) विभिन्न त्योहरों/दिवसों के उपलक्ष्य पर परिषद प्रधान इत्यादि के रंगदार फोटो सहित शुभकामना/बधाई संदेशों के विज्ञापन पर ₹12000/– (क्रम संख्या 3, 9 व 13 पर वर्णित) का किया गया खर्च अनियमित प्रतीत होता है क्योंकि इसका परिषद की नियमों के अन्तर्गत निर्धारित गतिविधियों व उद्देश्यों से कोई सम्बन्ध नहीं था तथा यह खर्च लोकहित की अपेक्षा व्यक्तिगत सा प्रतीत होने के कारण परिषद निधि पर अनुचित प्रभार है।

(ii) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–2 पर जारी निर्देशानुसार विज्ञापन DAVP दरो पर एवम हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाए जाने अपेक्षित थे परन्तु वर्णित प्रकरणों में इन अनुदेशों की अवहेलना करके विज्ञापनों को सीधे अखबारों में उच्च दरो पर छपवाए गये थे जोकि अनियमित है। अतः उक्त अनियमितता को या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए उच्च सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाये या फिर इस अनियमितता के कारण हुई वित्तीय हानि पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परिषद निधि की भरपाई उचित स्त्रोत से की जाये।

(iii) क्रम संख्या 6 में वर्णित व्यय पृथ्वी लोक साप्ताहिकी की तीन वर्षों तक की Subscription पर किया गया। ₹1500 का व्यय अनियमित तथा परिषद निधि पर अनुचित प्रभार प्रतीत होता है जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके परिषद निधि की भरपाई की जाए।

20 निर्माण कार्यों में Form वर्क के रूप में राशि ₹0.69 लाख का अधिक भुगतानः–

चयनित माह में निर्माण कार्यों के बिलों का उपलब्ध करवाए गये सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि सीमेन्ट कंक्रीट रोड के निर्माण हेतु Form वर्क का भुगतान साईड के साथ–2 बीच में डाले गए Expension Joints के लिए भी किया गया था जबकि मान्य सिद्धान्त अनुसार Form वर्क केवल साईड हेतु ही देय है और सीमेन्ट कंक्रीट रोड के निर्माण हेतु अन्य कोई Form वर्क देय नहीं बनता क्योंकि HPPWD Specification 1990 13.10.3 में यह स्पष्ट किया गया है कि "No. Duduction shall be made or extra paid for any opening up to 0.1 sqm in area in the floor." चूकि सीमेन्ट कंक्रीट की कार्य प्रमात्रा से expendion joints में किये गये form वर्क के कारण बनी Opening की प्रमात्रा के बराबर कंक्रीट कार्य की कोई deduction नहीं की गई थी जिस कारण expension joints में किये गये Form वर्क का भुगतान कंक्रीट कार्य के रूप में पहले ही किया जा चुका है। अतः इसका

Form वर्क के रूप में दौबारा अलग से अतिरिक्त भुगतान देय नहीं बनता था जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अनियमित भुगतान की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ठेकेदार व कार्य का नाम	MB संख्या व पृ0	RD संख्या (मी0) में	Expension joints में किये गये Form वर्क की कार्य प्रमात्रा (Sqm)	भुगतान दर (₹) में	अधिक भुगतान की राशि (₹) में
(क) वाउचर संख्या 63 दिनांक 31.3.15=₹1698185					
Sh. Virender Sharma C/O Cement Concrete Raod from M/S Om Sons Chowk towards M/S Miles Stone Gears industrial plot No. 58 Sector-1, Parwanoo	80/63	0/00 to 0/32	1x6x9.50x0.15=8.55	220	1881
	80/67	0/32 to 0/62	1x6x9.50x0.15=8.55	220	1881
	80/71	0/62 to 0/92	1x6x9.50x0.15=8.55	220	1881
	80/76	0/92 to 0/122	1x6x9.50x0.15=8.55	220	1881
	82/49	0/122 to 0/152	1x6x9.50x0.15=8.55	220	1881
	कुल जोड़		**42.75**	**220**	**9405**
(ख) वाउचर संख्या 53 दिनांक 20.4.13=₹2304232					
Sh. Ansuman Chaudhary C/O Cement Concrete Raod in Sectior 5 Parwanoo near Triveni Casting Factory side	68/9	0/056 to 0/081	1x25x0.23=5.75 6x9.50x0.23=11.73 Total= 17.48	258	4510
	68/19	0/108 to 0/131	1x23x0.23=5.29 5x9.50x0.23=10.92 Total 16.21	258	4182
	68/24	0/131 to 0/156	1x25x0.23=5.75 6x8.60x0.23=11.87 but actually paid=10.32 Total= 16.07	258	4146

	68/29	0/156 to 0/179	1x23x0.23=5.29 5x8.60x0.23=9.89 Total 15.18	258	3916
	68/34	0/179 to 0/184 & 0/392 to 0/430	1x5x0.23=1.15 1x9.50x0.23=2.18 9x4.60x0.23=9.52 Total 12.85	258	3315
		कुल जोड़	**78.71**	**258**	**20069**

(ग) वाउचर संख्या 18 दिनांक 4.4.13=₹2217224

Sh. Ansuman Chaudhary C/O Cement Concrete Raod from industrial piot No. 53 Triveni Casting towards Solid Waste	66/3	0/184 to 0/225	5x3.55x0.23=4.08 10x3.50x0.23=8.05 Total=12.13	258	3130
	66/9	0/225 to 0/290	16x3.25x0.23=11.96	258	3086
	66/15	0/290 to 0/352	16x3.30x0.23=12.14 2x9.50x0.23=4.37 1x5x0.23=1.15 Tiotal 17.66	258	4556
	66/21	0/352 to 0/377	3x8.70x0.23=6.00 6x8.70x0.23=12.00 Total= 18.00	258	4644
	66/28	0/377 to 0/380 & 0/380 to 0/430	2x8.80x0.23=4.04 12x4.00x0.23=11.04 Total=15.08	258	3891
		कुल जोड़	**74.83**	**258**	**19307**

(घ) वाउचर संख्या 40 दिनांक 17.8.13=₹689552

Sh. Ansuman Chaudhary C/O Cement Concrete Raod from RD 0/430 to 0/451 left side from bottom side & C/O CC drain RHS of Kalima steel Factory SH C/O drain	70/64	0/430 to 0/451	5x5.00x0.23=5.75	240	1380

(ङ) वाउचर संख्या 17 4.4.13=₹633639

Sh. Saurabh Dharoach C/O inner Road near H/No. 146 in Sector-4 PWN from RD 84/40 to 0/255.50	66/73	84.40 to 255.40	22x5.95 m=130.00Rmt 5x9.50m=47.50Rmt 14.1mx1=14.10Rmt Total=191.60 Rmt	98 per Rmt	18777
		Grand Total (क)+(ख)+(ग)+(घ)+(ङ)			**68938**

21 निर्माण कार्यों को तीन/पाँच लाख से कम भागों में बाँटने के कारण राशि ₹94.13 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

Himachal Pradesh Municipal Rules 2010 के नियम 3 (1) के प्रावधानानुसार नगरपालिका को केवल पाँच लाख तक के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है तथा नियम 4 (2) के प्रावधानानुसार कनिष्ठ अभियन्ता को केवल तीन लाख व सहायक अभियन्ता को दस लाख तक के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है किन्तु निम्न वर्णित निर्माण कार्यों को तीन लाख व पाँच लाख से कम भागों में बांटकर सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति को Avoid किया गया था तथा अपने स्तर पर ही परिषद/कनिष्ठ व सहायक अभियन्ता द्वारा प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृतियाँ प्रदान की गई थी जोकि वर्णित नियमों की उल्लंघना के कारण अनियमित है जिसका या तो औचित्य स्पष्ट किया जाये या इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रमाँक	आंबटन पत्र संख्या व दिनांक	माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ	RD संख्या	कुल भुगतान की राशि (₹) में	कटौती की राशि (₹) में	शुद्ध भुगतान की राशि (₹) में
(1) कार्य का नामः C/O Cement Concrete Road from industrial plot No. 53 Triveni Casting towards Soild Waste RD 0/056 to 0/451 ठेंकेदार का नामः– Sh. Anshuman Chaudhary (क) वाउचर संख्या 53 दिनांक 20.4.13=₹2304232						

1	MC PWN/Award Letter/2013/426 dated 06.03.13=₹427900	68/7 to 11	0/056 to 0/081	451737	69335	382402
2	MC. PWN/Award Letter/2013/428 dated 6.3.13=₹427900	68/17 to 21	0/108 to 0/131	455569	69921	385648
3	MC. PWN/Award Letter/2013/429 dated 6.3.13=₹427900	68/22 to 26	0/131 to 0/156	469800	72099	397701
4	MC. PWN/Award Letter/2013/430 dated 6.3.13=₹490745	68/27 to 31	0/156 to 0/179	452645	69474	383171
5	MC. PWN/Award Letter/2013/431 dated 6.3.13=₹490745	68/32 to 36	0/179 to 0/184 & 0/392 to 0/430	474481	72816	401665
			जोड़	**2304232**	**353645**	**1950587**
(ख) वाउचर संख्या 18 दिनांक 4.4.13=₹2217224						
6	MC. PWN/Award Letter/2013/421 dated 6.3.13=₹443242	66/1 to 6	0/184 to 0/225	444861	68283	376578
7	MC. PWN/Award Letter/2013/422 dated 6.3.13=₹443242	66/7 to 12	0/225 to 0/290	438670	67360	371310
8	MC. PWN/Award Letter/2013/423 dated 6.3.13=₹443242	66/13 to 18	0/290 to 0/352	444310	68211	376099

9	MC. PWN/Award Letter/2013/424 dated 6.3.13=₹443242	66/19 to 25	0/352 to 0/377	444187	68183	376004
10	MC. PWN/Award Letter/2013/425 dated 6.3.13=₹443242	66/26 to 31	0/377 to 0/380 & 0/380 to 0/430	445196	68334	376862
			जोड़	**2217224**	**340371**	**1876853**
	कुल जोड़ (1) (क)+(ख)			**4521456**	**694016**	**3827440**
(2) कार्य का नामः C/O Cement Concrete Road from M/S Om Sons chowk towards M/s Miles stone Gears industrial plot No. 58 Sector – Parwanoo ठेंकेदार का नामः– Sh. Virender Sharma वाउचर संख्या 63 दिनांक 31.3.15=₹1698185						
1	MC. PWN/Award Letter/2014/347 dated 1.12.14=₹37364	80/63	0/00 to 0/32	364039	318365	45674
2	MC. PWN/Award Letter/2014/348 dated 1.12.14=₹341810	80/67	0/32 to 0/62	335321	313957	21364
3	MC. PWN/Award Letter/2014/349 dated 1.12.14=₹333570	80/71	0/62 to 0/92	317163	311172	5991
4	MC. PWN/Award Letter/2014/350 dated 1.12.14=₹350100	80/76	0/92 to 0/122	346341	315649	30692
5	MC. PWN/Award	82/49	0/122 to	335321	51457	283864

	Letter/2014/373 dated 2.12.14=₹350100		0/152			
		कुल जोड़		**1698185**	**1310600**	**387585**
(3) कार्य का नामः C/O Cement Concrete R/wall for New Children Park in front of shanti Vihar Colony main gali road side Sector-1 Parwanoo ठेंकेदार का नामः– Sh. Virender Sharma वाउचर संख्या 26 दिनांक 5.3.15=₹825000						
1	MC. PWN/Award Letter/2014/364 dated 2.12.14=₹148677	82/1 to 6	0/00 to 0/003	121113	18586	102527
2	MC. PWN/Award Letter/2014/365 dated 2.12.14=₹148677	82/6 to 11	0/03 to 0/006	96927	14876	82051
3	MC. PWN/Award Letter/2014/366 dated 2.12.14=₹148677	82/11 to 17	0/06 to 0/009	121113	18586	102527
4	MC. PWN/Award Letter/2014/143 dated 13.2.15=₹148677	82/17 to 23	0/09 to 0/012	140879	121620	19259
5	MC. PWN/Award Letter/2015/144 dated 13.2.14=₹148677	82/23 to 29	0/012 to 0/015	131723	120214	11509
6	MC. PWN/Award Letter/2014/145 dated 13.02.15=₹148677	85/1 to 5	0/015 to 0/018	117725	18067	99658

7	MC. PWN/Award Letter/2014/146dated 13.2.15=₹116294	85/6 to 11	0/018 to 0/21.33	95520	14658	80862
			कुल जोड़	**825000**	**326607**	**498393**
(4) कार्य का नामः C/O PCC R/wall at Sector-5, Parwanoo back side of block No.8 Ph I &II ठेंकेदार का नामः– Sh. Sanjay Kumar Garg वाउचर संख्या 54 दिनांक 20.4.15=₹1510265						
1	MC. PWN/Award Letter/2013/653 dated 3.4.13=₹508745	68/66 to 70	Phase-I	264497	40865	223632
2	MC. PWN/Award Letter/2014/365 dated 2.12.14=₹148677	68/71 to 75	Phase-II	291191	44692	246499
			कुल जोड़	**555688**	**85557**	**470131**
(5) कार्य का नामः C/O Solid Waste site at Sector 5, Parwanoo ठेंकेदार का नामः– M/S Rajinder & Co. Chandigarh वाउचर संख्या 15 दिनांक 4.4.13=₹1229992						
1	MC. PWN/Award Letter/2012/1544-47 dated 5.9.12=₹443948	65/62 to 66	SH: CGI Sheet roofing	375332	57691	317641
2	MC. PWN/Award Letter/2012/1556-59 dated 5.9.12=₹443948	65/69 to 77	Sh. Structure work of Attendant Residence	422326	65309	357017
3	MC. PWN/Award Letter/2012/1552-55 dated	65/78 to 85	SH: C/O Store	265254	41205	224049

	5.9.12=₹321947					
4	MC. PWN/Award Letter/2012/1540-43 dated 5.9.12=₹339527	65/85 to 91	SH: Steel Structure work	167080	25787	141293
			कुल जोड़	**1229992**	**189992**	**1040000**
(6) कार्य का नामः Special Repair & maintenance Garbage Container, M.C Parwanoo ठेंकेदार का नामः– M/S Devender Kumar वाउचर संख्या 39 दिनांक 16.3.15=राशि ₹582296						
1	MC. PWN/Award Letter/2014/369 dated 2.12.14=₹145912	83/6 to 8	4 No. Garbage container	145912	22391	123521
2	MC. PWN/Award Letter/2014/370 dated 2.12.14=₹145912	83/9 to 11	4 No. Garbage container	145912	22391	123521
3	MC. PWN/Award Letter/2014/371 dated 2.12.14=₹144976	83/12 to 14	4 No. Garbage container	144976	22328	123168
4	MC. PWN/Award Letter/2014/377 dated 2.12.14=₹145496	83/15 to 17	4 No. Garbage container	145496	22249	122727
			कुल जोड़	**582296**	**89359**	**492937**
	Grand Total (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)			**9412617**	**2696131**	**6716486**

22 ठेकेदार का नामः– Sh. Virender Sharma

वाउचर संख्या 14 दिनांक 4.4.13 राशि ₹1769975

(1) कार्य का नामः– C/O Store at M.C. Parwanoo (First floor) Sector-1, Parwanoo

अनुबन्ध/आंबटन पत्र संख्या M.C. PWN/Award letter/2012/2046-50 dated 29.9.12 for ₹453430

चलत बिल संख्याः– 1st & Final

माप पुस्तिका संख्याः 67 पृष्ठ 50 से 62 तक

(i) स्टील का गलत conversion factor लगाने के कारण ठेकेदार को ₹1103 की राशि का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 4/19 "Steel work welded in built up section etc. (माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 62 abstract of cost) की कुल कार्य प्रमात्रा 1501.03 कि0ग्रा0 का ₹83.50 प्रति कि0ग्रा0 की दर से ठेकेदार को ₹125336/– की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि स्टील का/गलत/Conversion Factor लगाने के कारण ₹1103 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका पृ0सं0	वस्तु का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	लगाया गया conversion factor (कि0ग्रा0 प्रति मी0 में) व कार्य प्रमात्रा (कि0ग्रा0 में)	conversion factor (कि0ग्रा0 प्रति मी0 में) जो लगाया जाना चाहिए था व कार्य प्रमात्रा (कि0ग्रा0 में)	कार्य प्रमात्रा में अन्तर (कि0ग्रा0) में	दर (₹ प्रति कि0ग्रा0 में)	अधिक भुगतान की राशि (₹) में
59	Sq. bar 10mm	186.62 m	0.79/147.42	0.78=145.56	1.86	83.50	155
57	M.S. flat sheet 10mm	0.211 sqm	78.50/16.56	24.70=5.21	11.35	83.50	948
					कुल जोड़		**1103**

(2) कार्य का नामः– C/O one room set near M.C. shop in Sector-I, A Parwanoo (left hand side)

चलत बिल संख्याः– 2nd & Final

माप पुस्तिका संख्याः 67 पृष्ठ 6 से 21 तक

(i) गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹120 की राशि का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 9 (माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 17 Abstract of cost) "P/F 40mm thick paneped door shutter made of 2nd class deodar wood etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 4.86 घन मीटर का संविदाकार को राशि ₹3000/– प्रति घन मीटर की दर से राशि ₹14580 का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 9 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार गणना में त्रुटि के कारण 0.04 घन मीटर निष्पादित कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹120/– बनता है जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति घन मी0 (₹) में	अधिक भुगतान की राशि (₹) में
Kitchen door 1x0.70x2.00=1.44 cum	1x0.70x2.00=1.40 cum	0.04 cum	3000	120

(ii) स्टील का गलत convereion factor लगाने के कारण ठेकेदार को ₹985 की राशि का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 17/18 "Steel work welded in built up section etc. (माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 20 abstract of cost) की कुल कार्य प्रमात्रा 1176.09 कि0ग्रा0 का ₹84 प्रति कि0ग्रा0 की दर से ठेकेदार को राशि ₹98792/– का भुगतान किया गया था। इस कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि स्टील का गलत factor लगाने के कारण ₹985 की राशि का निम्नविवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका पृ0सं0	वस्तु का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	लगाया गया **conversion factor** (कि0ग्रा0 प्रति मी0 में) व कार्य प्रमात्रा (कि0ग्रा0 में)	**conversion factor** (कि0ग्रा0 प्रति मी0 में) जो लगाया जाना चाहिए था व कार्य प्रमात्रा (कि0ग्रा0 में)	कार्य प्रमात्रा में अन्तर (कि0ग्रा0) में	दर (₹ प्रति कि0ग्रा0 में)	अधिक भुगतान की राशि (₹) में
13	Sq. bar 10mm	14.00m	0.79=11.06	0.78=10.92	0.14	84	12
14	M.S. flat 50.5mm	28.96m	2.40=69.50	2.00=57.92	11.58	84	973
					कुल जोड़		**985**

(iii) माप की गलत गणना के कारण ठेकेदार को राशि₹0.32 लाख का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 17/18 "Steel work welded in built up section etc. (माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 20 abstract of cost) की कुल कार्य प्रमात्रा 1176.09 कि0ग्रा0 का ₹84 प्रति कि0ग्रा0 की दर से ठेकेदार को राशि ₹98792/– का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 13 पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि तीन मीटर की ऊँचाई पर छत/terrace पर जाने के लिए 11 नं0 Steps वाली लोहे की सीढ़ी का निर्माण कार्य किया गया था जिसके लिए steps की दायीं व बायीं दोनों तरफ 40x40x5mm के top & Bottom की तरफ दो–दो Angles 3.85m & 4.15m की लम्बाई के प्रयोग किये थे जिस हेतु माप पुस्तिका में दर्ज परिमाप अनुसार ठेकेदार को (3.85m+4.15m)x9x2=144Mx3Kg per metre=432Kg का भुगतान किया गया था जोकि उचित प्रतीत नहीं होता तथा वास्तविकता में यह (3.85m+4.15m)x2=16Mx3KG per metre=48Kg होना चाहिए था। अतः माप की गलत गणना की इस त्रुटि के कारण निम्न विवरण अनुसार 384 कि0ग्रा0 कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹32256/– बनता है। अतः अधिक भुगतान की गई राशि का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति घन मी0 (₹) में	अधिक भुगतान की राशि (₹) में
(3.85+4.15)x9x2=144Mx3Kg per metre=432 Kg	(3.85+4.15)x2=16Mx3Kg per metre=48Kg	384 Kg	8400 per qtl i.e. 84 per Kg	32256

(3) कार्य का नामः– C/O M.C. store & Staircase at Sector-1 A, near M.C shop Parwanoo

चलत बिल संख्याः– 2nd & final

माप पुस्तिका संख्याः– 67 पृष्ठ 21 से 29 तक

योग की गणना में त्रुटि के कारण ठेकेदार को ₹450 की राशि का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 15 (माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 28 Abstract of cost)"15mm thick cement plaster in single coat on fair side of brick work in CM 1:6 etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 95.42 वर्ग मीटर का ₹190 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को राशि ₹18130 का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 22 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि योग की गणना में त्रुटि के कारण निष्पादित कार्य प्रमात्रा 95.42 वर्ग मीटर की अपेक्षा 93.05 वर्ग मीटर बनता है। इस प्रकार 2.37 वर्ग मीटर कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹190 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹450/–बनता है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(4) कार्य का नामः– Provinding External system in sector 5 SH C/O CC wall earth work for septic tank

अनुबन्ध/आबंटन पत्र संख्याः M.C. PWN/Award letter/2013/468-71 dated 7.3.13 for ₹508471

चलत बिल संख्याः– 1st & final

माप पुस्तिका संख्याः– 65 पृष्ठ 66 से 69 तक

ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण राशि ₹0.17 लाख का अधिक भुगतानः–

उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 4" P/L CC in 1:3:6 excluding cost of form work etc." की निष्पादित कुल कार्य प्रमात्रा 69.83 घन मीटर का ₹4800 प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को राशि ₹335184/– का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या 65 पृष्ठ 69 Abstract of cost) जबकि इस कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार से Quoted rate 4800 के बदले negotiated rate ₹4550/– प्रति घन मीटर की दर अनुबन्धित थी जैसा कि **परिशिष्ट "ट"** से स्पष्ट विदित होता है। अतः इस प्रकार ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹17458 की राशि (69.83cumx₹250) (₹4800.₹4550) का अधिक भुगतान किया गया है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(5) कार्य का नामः– C/O store at MC campus (FF) Sector 1 (left side) SH providing brick work, doors & windows

अनुबन्ध/आबंटन पत्र संख्याः M.C. PWN/Award letter/2012/2092 dated 5.9.12 for ₹406534

चलत बिल संख्याः– 1st & final

माप पुस्तिका संख्याः– 67 पृष्ठ 39 से 50 तक

(i) निष्पादित कार्य प्रमात्रा की संशयपूर्ण रिकार्ड प्रविष्टियों के कारण ठेकेदार को राशि ₹0.17 लाख का सम्भावित अधिक भुगतानः–

कार्य मद ˙सख्या 6 (माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 47 Abstract of cost) "P/F pressed steel door frames etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 169.70 मीटर का ₹450/– प्रति मीटर की दर से ठेकेदार को राशि ₹76365/– का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 41 व 42 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि माप पुस्तिका पर दर्ज खिडकियों और दरवाजों की संख्या व Sketch सहित

joinery के विवरण के अनुरूप रिकार्ड की गई निष्पादित कार्य प्रमात्रा 131.96 मीटर सही थी परन्तु इसके अतिरिक्त निम्न विवरण अनुसार दर्ज की गई 37.74 मीटर अतिरिक्त कार्य प्रमात्रा की प्रविष्टियाँ वर्णित joinery विवरण अनुसार वास्तविक कार्य प्रमात्रा से अधिक व संशयपूर्ण पाई गई जिसके फलस्वरूप ठेकेदार को ₹450/– की दर से ₹16983/–की राशि का सम्भावित अधिक भुगतान किया गया है जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन उपरान्त वास्तविक स्थिति का पता लगाकर अधिक भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Extra for Mullion
Kit W 2x1.10=2.20m
Bed W 1x1x2.00=2.00m

1x1.55=1.55m

2x2.00=4.00m

1x1.80=1.80m

D/W VP 3x3x2.00=18.00m

HP 3x2.73=8.19m

Total =37.74 m

(ii) ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण राशि ₹900/– का अधिक भुगतानः–

वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 9/10 "P/F anodized aluminium sliding door bolt etc." की निष्पादित कुल कार्य प्रमात्रा 9 No. का ₹350 की दर से ठेकेदार को ₹3150/– की राशि का भुगतान किया गया था (माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 48 Abstract of cost) जबकि इस कार्य मद के निष्पादन हेतु ठेकेदार से quoted rate 350 के बदले negotiated rate ₹250 की दर अनुबन्धित थी। अतः इस प्रकार ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹900/– की राशि (9 No. x₹100(₹350–250) का अधिक भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) सीमेन्ट प्लास्टर की निष्पादित कार्य प्रमात्रा से खिड़की/दरवाजों की कम कार्य मात्रा की कटौती करने के कारण ठेकेदार को ₹1904/– की राशि का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 16/20 (माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 49 & 50 abstract of cost) 20mm thick cement plaster in single coat on fiar side brick/stone masonry etc. की कुल कार्य प्रमात्रा 319.16 less deduction 28.44 nett qty 290.72 वर्ग मीटर का ₹190 प्रति मीटर की दर से ठेकेदार को ₹55237/–की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 43 & 44 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 41 पर दर्ज दरवाजों के विवरण से मिलान करने पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार दरवाजों की 10.02 वर्ग मीटर कार्य मात्रा की deduction कम की गई थी अर्थात deduction की कुल मात्रा 28.44 वर्ग मीटर की अपेक्षा 38.46 वर्ग मीटर होनी चाहिए थी। अतः इस प्रकार 10.02 वर्ग मीटर कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जोकि ₹190 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹1904 बनता है जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन उपरान्त वास्तविक स्थिति का पता लगाकर अधिक भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) Kitchen/toilet door=4Nos.x0.75x2.05=6.15 Sqm

(ii) Room door= 2Nos.x0.92x2.15=3.87 Sqm

Total qty. =10.02sqm

23 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य में राशि ₹2.58 लाख की Deviation का ठेकेदारों को अनाधिकृत भुगतानः–

निम्न वर्णित निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा आंबटित राशि से अधिक राशि में पूर्ण किया गया था। इस प्रकार निम्न निर्माण कार्यों में ₹258425 की overall deviation का भुगतान ठेकेदारों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया जोकि अनाधिकृत होने के कारण अनियमित है क्योकि नियमानुसार वर्णित राशि का भुगतान ठेकेदारों को सक्षम प्राधिकारी से Deviation Statement अनुमोदित करवाए जाने के उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित था जोकि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए अब या तो सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा इस

अनाधिकृत भुगतान की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1 ठेकेदार का नाम Sh. Virender Sharma

(क) कार्य का नामः– C/O Store at M.C. Parwanoo (First Floor) Sector-1, Parwanoo

माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 50 से 62 तक

आबंटन पत्र संख्या व दिनांक	**निर्माण कार्य आंबटन राशि (₹) में**	**निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹) में**	**कुल विचलन (Overall deviation) राशि (₹) में**	**Overall deviation (%) में**
M.C. PWN/Award Letter/2012/2046.50 dated 29.9.12	453430	496330	42900	9.46

(ख) कार्य का नामः– C/O Store at M.C.Campus (FF) Sector 1 (left side) SH providing brick work doors & windows

माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 39 से 50 तक

आबंटन पत्र संख्या व दिनांक	**निर्माण कार्य आंबटन राशि (₹) में**	**निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹) में**	**कुल विचलन (Overall deviation) राशि (₹) में**	**Overall deviation (%) में**
M.C. PWN/Award Letter/2012/2092 dated 5.9.12	406534	443181	36647	9.00

2 ठेकेदार का नामः– Sh. Sanjay Garg

कार्य का नामः– C/O CC R/Wall at Sector-1, Parwanoo Rehan Basera

माप पुस्तिका संख्या 66 पृष्ठ 32 से 36 तक

आबंटन पत्र संख्या व दिनांक	निर्माण कार्य आंबटन राशि (₹) में	निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹) में	कुल विचलन (Overall deviation) राशि (₹) में	Overall deviation (%) में
M.C. PWN/Award Letter/2013/529-32 dated 8.3.13	349804	395154	45350	12.96

(ख) कार्य का नामः– C/O Painting/white washing of existing HIMFED building Sector-1, Parwanoo

माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 62 से 70 तक (R/E) – 69 पृष्ठ 8 से 10 तक (Abstract)

आबंटन पत्र संख्या व दिनांक	निर्माण कार्य आंबटन राशि (₹) में	निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹) में	कुल विचलन (Overall deviation) राशि (₹) में	Overall deviation (%) में
M.C. PWN/Award Letter/2012/1620 dated 5.9.12	68110	145476	77366	113.59

3 ठेकेदार का नामः– Sh. Ashwani Thakur

कार्य का नामः– C/O RR masonary wall in Sector-6, Parwanoo Block No. 19, 20 & 21

माप पुस्तिका संख्या 68 पृष्ठ 41 से 44 तक

आबंटन पत्र संख्या व दिनांक	निर्माण कार्य आंबटन राशि (₹) में	निर्माण कार्य पूर्ण करने की राशि (₹) में	कुल विचलन (Overall deviation) राशि (₹) में	Overall deviation (%) में
M.C. PWN/Award Letter/2013/109 dated 24.1.13	314930	371092	56162	17.83
		कुल जोड़	**258425**	

24 ठेकेदार का नामः– M/S Rajinder & Co. Chandigarh

वाउचर संख्याः– 15 दिनांक 4.4.13 राशि ₹1229992

कार्य का नामः– C/O Solid Waste site at Sector-5, Parwanoo Sh. Structure work of Attendent Residence

चलत बिल संख्या 1st & Final

माप पुस्तिका संख्या 65 पृष्ठ 69 से 77 तक

(1) गलत गणना के कारण ठेकेदार को राशि ₹0.05 लाख का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 5 (माप पुस्तिका संख्या 65 पृष्ठ 77 Abstract of cost) "Brick work of 2nd class commom brunt clay in foundation & plinth in CM 1:6 etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 32.82 घन मीटर का ₹5090/– प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को राशि ₹167054/– का भुगतान किया गया था। माप पुस्तिका संख्या 65 पृष्ठ 74 पर दर्ज कार्य की विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि निम्नविवरण अनुसार गणना में त्रुटि के कारण 0.98 धन मीटर कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹4988 बनता है जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति घन मी0 (₹) में	अधिक भुगतान की राशि (₹) में
1x3.90x0.23x1.10=1.97 cum	1x3.90x0.23x1.10=0.99cum	0.98 cum	5090	4988

(2) कार्य का नामः– C/O Solid waste site at Sector-5, Parwanoo SH Steel Structure work

चलत बिल संख्याः 1st & Final

माप पुस्तिका संख्याः 65 पृष्ठ 85 से 91 तक

स्टील का गलत conversion factor लगाने के कारण ठेकेदार को ₹942/– की राशि का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 1 "Steel work welded in built up section etc." (माप पुस्तिका संख्या 65 पृष्ठ 91 Abstract of cost) की कुल कार्य प्रमात्रा 1965.65 कि0ग्रा0 का ₹85 प्रति कि0ग्र0 की दर से ठेकेदार को ₹167080/– की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों को अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया गया कि स्टील का Conversion factor गलत लगाने के कारण ₹942/– की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका पृ0सं0	वस्तु का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	लगाया गया Conversion factor (कि0ग्रा0 प्रति मी0 में व कार्य प्रमात्रा कि0ग्रा0 में)	Conversion factor (कि0ग्रा0 प्रति मी0 में) जो लगाया जाना चाहिए था व कार्य प्रमात्रा (कि0ग्रा0) में	कार्य प्रमात्रा में अन्तर (कि0 ग्रा0) में	दर (₹ प्रति कि0 ग्रा0 में)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
86	Sq.bar 10mm in W & V	16.75m	0.79=13.23	0.78=13.07	0.16	85.00	13.60
88	-do-	55.20m	0.79=43.60	0.78=43.06	0.54	85.00	45.90
89	M.S. flat 32x6mm	21.20m	1.90=40.28	1.50=31.80	8.48	85.00	720.80
89	M.S flat 40x6mm	(2x0.75mx9)+(2x0.95mx9)=31.60m whitch should be=30.60m (calculation mistake)	1.90x31.60=60.04	1.90x30.60=58.14	1.90	85.00	161.50
				कुल जोड़		**941.80 says 942**	

25 निर्माण कार्यों को विलम्ब से पूर्ण करने पर आंबटन पत्र की शर्तानुसार संविदाकारों से राशि ₹1.86 लाख दण्ड शुल्क की वसूली न करनाः–

चयनित मास में निर्माण कार्यों के बिलों का उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि इन निर्माण कार्यों को न तो संविदाकारों द्वारा निर्धारित

समय अवधि में पूर्ण किया गया और न ही विभाग द्वारा नियमानुसार निर्माण कार्य को पूरा करने की निर्धारित समय सीमा में बढ़ौतरी की गई। निर्माण कार्यों के अनुबन्ध की धारा 2 के अनुसार यदि संविदाकार किसी निर्माण कार्य को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण नहीं करता और न ही विभाग द्वारा कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समय अवधि में कोई बढ़ौतरी की जाती है तो इस स्थिति में संविदाकार से शेष कार्य राशि पर एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से जो कुल अनुबन्ध की राशि का दस प्रतिशत से अधिक न हो, के बराबर दण्ड शुल्क वसूल करने का प्रावधान है। अतः संविदाकारों द्वारा निम्न कार्यों को निर्धारित समय अवधि में न तो पूर्ण किया गया और न ही विभाग द्वारा इन कार्यों के निष्पादन के लिए निर्धारित समय अवधि में की गई बढ़ोतरी से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त आंबटन पत्र की शर्त संख्या तीन के अनुसार विलम्ब दण्ड शुल्क की राशि एक हजार रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गई थी। इसलिए अनुबन्ध की धारा दो व आंबटन पत्र की शर्त संख्या तीन के अनुसार इन संविदाकारों के विरूद्ध कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी। संविदाकारों के विरूद्ध कार्रवाई न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए राशि ₹186000/– की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1 ठेकेदार का नामः– श्री विरेन्द्र शर्मा कार्य का नामः– C/O Store at MC Parwanoo				
कार्य पूर्ण करने के लिए निर्धारित अवधि	**कार्य आरम्भ व पूर्ण करने की तिथि**	**कार्य पूर्ण करने के लिए लिया गया समय**	**कार्य निष्पादन विलम्ब (दिन)**	**विलम्ब दण्ड शुल्क की राशि**
120 दिन	14.10.12/ 31.3.13	168 दिन	48 दिन	48000
2 कार्य का नाम C/O Store at MC Campus (FF) Parwanoo				
कार्य पूर्ण करने के लिए निर्धारित अवधि	**कार्य आरम्भ व पूर्ण करने की तिथि**	**कार्य पूर्ण करने के लिए लिया गया समय**	**कार्य निष्पादन विलम्ब (दिन)**	**विलम्ब दण्ड शुल्क की राशि**
120 दिन	29.9.12/ 31.3.13	191 दिन	71 दिन	71000

3 ठेकेदार का नामः— श्री संजय कुमार गर्ग कार्य का नामः— Painting/White wasing (Himfed Building)				
कार्य पूर्ण करने के लिए निर्धारित अवधि	**कार्य आरम्भ व पूर्ण करने की तिथि**	**कार्य पूर्ण करने के लिए लिया गया समय**	**कार्य निष्पादन विलम्ब (दिन)**	**विलम्ब दण्ड शुल्क की राशि**
120 दिन	20.9.12 / 31.1.13	131 दिन	11 दिन	11000
4 कार्य का नामः— Painting & Distempering MC Park including Grills/Raillings				
कार्य पूर्ण करने के लिए निर्धारित अवधि	**कार्य आरम्भ व पूर्ण करने की तिथि**	**कार्य पूर्ण करने के लिए लिया गया समय**	**कार्य निष्पादन विलम्ब (दिन)**	**विलम्ब दण्ड शुल्क की राशि**
90 दिन	1.10.12 / 25.2.13	146 दिन	56 दिन	56000

26 ठेकेदार का नामः— Sh. Hoshiar Singh

वाउचर संख्या 16 दिनांक 4.4.13 राशि ₹1324213

कार्य का नाम C/O CC R/wall at Sector-4, Parwanoo near block No. 1 & 2 Ph II

चलत बिल संख्या 1st & Final

माप पुस्तिका संख्या 66 पृष्ठ 59 से 61 तक

माप की गलत गणना के कारण ठेकेदार को राशि ₹0.12 लाख का अधिक भुगतानः—

कार्य मद संख्या 5 (माप पुस्तिका संख्या 66 पृष्ठ 64 Abstract of cost) "P/L CC in 1:3:6 in R/wall B/wall in foundation & plinth etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 70.98 घनमीटर का ₹4360/— प्रति घनमीटर की दर से ठेकेदार को राशि ₹309473/— का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 66 पृष्ठ 61 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि निम्न वर्णित लम्बाई में form work 0.90 मीटर (औसत) की ऊँचाई में किया गया था जबकि CC in 1:3:6 का कार्य 2.00 मीटर की ऊँचाई में किया गया है। क्योंकि सीमेन्ट कंक्रीटिंग का कार्य form work के कार्य से अधिक नहीं हो सकता। अतः

माप की गलत गणना की इस त्रुटि के कारण निम्न विवरण अनुसार 2.90 घन मीटर कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹12661 बनता है जिसका पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

गणना जिसका भुगतान किया गया	**सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था**	**अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा**	**दर प्रति घन मी0 (₹) में**	**अधिक भुगतान की राशि (₹) में**
2.20x1.80+0.60x2.00/2=5.28 cum	2.20x1.80+0.60/2x1.20+0.60/2=2.38 cum	2.90 cum	4360 per cum	12661

27 **ठेकेदार का नामः– Sh. Anshuman Chaudhary**

वाउचर संख्या 18 दिनांक 4.4.13 राशि ₹2217224

कार्य का नाम C/O Cement Concrete Road from industrial plot No. 53 Triveni Casting towards Solid Waste RD 0/056 to 0/451

चलत बिल संख्या 1st & Final

माप पुस्तिका संख्या 66 पृष्ठ 13 से 18 तक

गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹1856 की राशि का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 1 (माप पुस्तिका संख्या 66 पृष्ठ 16 Abstract of cost) "Excavation in earth work I/C dressing levelling etc" की कुल कार्य प्रमात्रा 43.97 घन मीटर का ₹280/– प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को राशि ₹12311 का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 66 पृष्ठ 14 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि गणना की त्रुटि के कारण RD 0/290=3.30m width व RD 0/308=3.00m width की average 3.20m(3.30+3.00)/2) आंकी गई थी जबकि वास्तविकता में यह 3.15m बनती है तथा 18m की लम्बाई में लम्बाई चौड़ाई का क्षेत्रफल 57. 60 वर्ग मीटर की अपेक्षा 56.70 वर्ग मीटर तथा यथानुसार कुल क्षेत्रफल 219.85 वर्ग मीटर की अपेक्षा 218.95 वर्ग मीटर बनता है। इस क्षेत्रफल में Excavation in earth P/L CC 1:4:8 & 1:1:5:3 का कार्य 0.20m, 0.15m & 0.23m Depth/Height में किया गया है तथा गणना की

उक्त वर्णित त्रुटि के कारण निम्नविवरण अनुसार ठेकेदार को ₹1856 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

कार्य मद संख्या/नाम	माप पुस्तिका/पृ0सं0	गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति घन मीटर (₹) में	अधिक भुगतान की राशि (₹) में
1 Excavation in earth work	66/14	219.85sqmx0.20m=43.97cum	218.95sqmx0.20m=43.79cum	0.18cum	280 per cum	50
2 P/L CC 1:4:8	66/14	219.85 sqmx0.15m=32.97cum	218.95sqmx0.15m=32.84cum	0.13 cum	3990 per cum	519
3 P/L CC 1:1:5:3	66/15	219.85sqmx0.23m=50.58cum	218.95sqmx0.23m=50.36cum	0.22 cum	5850 per cum	1287
			कुल जोड़			**1856**

28 ठेकेदार का नामः– Sh. Mainudin Ansari

वाउचर संख्या 20 दिनांक 4.4.13 राशि ₹1024894

कार्य का नामः– C/O RR Masonary wall near MIG 181-186 Sector 4, Parwanoo

चलत बिल संख्याः– 1st & Final

माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 30 से 33 तक

(1) गलत गणना के कारण ठेकेदार को राशि ₹0.05 लाख का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 5 (माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 33 Abstract of cost)"P/L CC 1:2:4 excluding the cost of form work & curing complete etc" की कुल कार्य प्रमात्रा 9.28 घन मीटर का ₹4360/– प्रति घन मीटर की दर से ठेकेदार को ₹40460/– की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 32 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार गणना में त्रुटि के

कारण 1.22 घन मीटर कार्य प्रमात्रा का ठेंकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹5319 बनता है जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

गणना जिसका भुगतान किया गया	**सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था**	**अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा**	**दर प्रति घन मी0 (₹) में**	**अधिक भुगतान की राशि (₹) में**
1x3.30x3.70x0.20= 2.44 cum	1x3.30x3.70x0.10= 1.22 cum	1.22 cum	4360	5319

(2) माप की गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹3843/– की राशि का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 2 (माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 32 Abstract of cost) "P/L CC in 1:6:12 excluding the cost of form work & curing compete etc" की कुल कार्य प्रमात्रा 11.38 घनमीटर का ₹3150/– प्रति घनमीटर की दर से ठेकेदार को ₹35847/– की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 31 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि वर्णित कार्य की सब लम्बाईयों में P/L CC in 1:6:12 का कार्य 0.10 मीटर की ऊँचाई में किया गया था जबकि निम्न वर्णित एक लम्बाई में यह कार्य 0.20 मीटर की ऊँचाई में किया गया जिसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा वास्तविकता में यह कार्य भी 0.10 मीटर की ऊँचाई में ही होना चाहिए था ताकि इससे सम्बन्धित किये गये अन्य कार्य की thickness/depth जैसे Excavation in earth work=0.20m & P/L Cc in 1:2:4=0.10 से मेल होता जैसे कि साथ की अन्य लम्बाई में किये गये कार्य से भी स्पष्ट होता है जिसमें निर्माण कार्य Excavation in earth work=0.20m, P/L Cc in 1:6:12 & P/L CC in 1:2:4=0.10 की thickness/depth में किये गये है। अतः माप की गलत गणना की इस त्रुटि के कारण निम्न विवरण अनुसार 1.22 घन मीटर कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹3843/– बनता है जिसका पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा भुगतान की राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति घन मी0 (₹) में	अधिक भुगतान की राशि (₹) में
3.30x3.70x0.20=2.44 cum	1x3.30x3.70x0.10=1.22 cum	1.22 cum	3150 per cum	3843

29 **ठेकेदार का नामः– Sh. Mainudin Ansari**

वाउचर संख्या 55 दिनांक 20.4.13 राशि ₹928332

(1) कार्य का नामः– C/O Children Park Brick Bundary wall near NPS school Sector-4, Parwanoo

चलत बिल संख्याः– 1st & Final

माप पुस्तिका संख्या 68 पृष्ठ 93 से 99 तक

माप की गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹618 की राशि का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 4 (माप पुस्तिका संख्या 68 पृष्ठ 98 Abstract of cost) "Brick work in CM in 1:6 etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 37.64 घनमीटर का ₹5325 प्रति घनमीटर की दर से ठेकेदार को राशि ₹200433/– का भुगतान किया गया था। कार्य की माप पुस्तिका संख्या 68 पृष्ठ 95 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि 18.35m की लम्बाई में किये जा रहे वर्णित कार्य की चतुर्थ Step में लम्बाई 18.70m ली गई जिस अनियमितता के कारण निम्न विवरण अनुसार ठेकेदार को "Brick work in CM in 1:6 व 15mm thick cement plaster in CM 1:6 both side के कार्य का अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹618/– बनता है जिसका पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

कार्य मद का नाम व माप पुस्तिका पृ0सं0	गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति घन मी0 (₹) में	अधिक भुगतान की राशि (₹) में
4 "Brick work in CM in 1:6 etc (P-95)	18.70x0.213x1.10=4.73cum	18.35x0.23x1.10 =4.64 cum	0.09 cum	5325 per cum	479
5 15mm thick cement plaster in CM 1:6 both side (P-96)	1x2x18.70x1.10 =41.14sqm	1x2x18.35x1.10 =40.37sqm	0.77 sqm	180 per sqm	139
		कुल जोड़			**618**

(2) कार्य का नामः– C/O Children Park near NPS School Sector-4, Parwanoo SH Flower beds & levelling/development of Park

चलत बिल संख्याः– 1st & final

माप पुस्तिका संख्याः– 69 पृष्ठ 4 से 7 तक

दोहरे माप की गणना की त्रुटि के कारण ठेकेदार को ₹1711 की राशि का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 1 (माप पुस्तिका संख्या 69 पृष्ठ 5 Abstract of cost) "Cutiing in earth work etc" की कुल कार्य प्रमात्रा 240.41 घनमीटर का ₹255/– प्रति घनमीटर की दर से ठेकेदार को राशि ₹61305/– का भुगतान किया गया था। कार्य की माप पुस्तिका संख्या 69 पृष्ठ 5 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार 6.71 घन मीटर में किये गये मिटटी की खुदाई के कार्य की प्रमात्रा इसी मद की साथ में दर्ज की गई परिमाप की प्रविष्टी 1x21.75+22.30x17.45+13. 25/2x0.30= 101.40 cum में भी दोबारा शामिल की गई थी जिस अनियमितता के कारण ठेकेदार को 6.71 घन मीटर कार्य प्रमात्रा का ₹255/– प्रति घनमीटर की दर से ₹1711 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसका छानबीन उपरान्त पूर्ण औचित्य स्पष्ट न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा

भुगतान की राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1x21.75x0.30x0.30=1.95cum

1x17.45x0.30x0.30=1.57 cum

1x22.30x0.30x0.30=2.00cum

1x13.25x0.30x0.30=1.19cum

Total qty 6.71 cum

(3) कार्य का नामः– C/O RR Masonary R/wall at Sector-4, Parwanoo for Park near NPS school

चलत बिल संख्याः–1st & Final

माप पुस्तिका संख्याः– 68 पृष्ठ 88 से 92 तक

माप की गलत गणना के कारण ठेकेदार को राशि ₹0.05 लाख का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 5 (माप पुस्तिका संख्या 68 पृष्ठ 90 Abstract of cost) "Boulder/stone filling behind R/wall etc" की कुल कार्य प्रमात्रा 26.88 घनमीटर का ₹1150/– प्रति घनमीटर की दर से ठेकेदार को ₹30912/– की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 68 पृष्ठ 95 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि लम्बाई 18.75 मीटर में यह कार्य 2.00 मीटर की ऊँचाई में किया गया था जोकि उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि इस लम्बाई में रिटेनिंग वाल के निर्माण हेतु excavation in earth work 1.20 मीटर में P/L CC 1:6:12 & 1:4:8 0.30 & 0.30 मीटर में तथा R/wall masonry 2.20 मीटर की ऊँचाई/गहराई मे किया गया था जिससे स्पष्ट होता है कि R/Wall masonry का 2.20 मीटर में किया गया कार्य 0.60 मीटर धरातल से नीचे व 1.60 मीटर धरातल से ऊपर किया गया था तथा इस प्रकार धरातल से ऊपर निर्मित R/Wall के पीछे ही Boulder/Stone filling का कार्य 1.60 मीटर की ऊँचाई तक ही सम्भव था। यह तथ्य दूसरी लम्बाई 3.65 मीटर में किये गये वर्णित निर्माण कार्य से भी स्पष्ट हो जाता है जिस हेतु excavation in earth work 1.20 मीटर में P/L CC 1:6:12 & 1:4:8 0.30 & 0.30 मीटर में तथा R/wall masonry 2.75 मीटर की ऊँचाई/गहराई में किया गया था अर्थात R/Wall masonry का कार्य 0.60 मीटर धरातल से नीचे व 2.15 मीटर धरातल से ऊपर किया गया था और Boulder/Stone filling का कार्य यथानुसार धरातल से ऊपर किये

गये R/wall masonry के कार्य के बराबर 2.15 मीटर में किया गया था। अतः माप में गणना की इस अनियमितता के कारण निम्न विवरण अनुसार ठेकेदार को ₹5175 का अधिक भुगतान किया गया था जिसे पूर्ण छानबीन उपरान्त पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

कार्य मद का नाम व माप पुस्तिका पृ0सं0	गणना जिसका भुगतान किया गया	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा	दर प्रति घन मी0 (₹) में	अधिक भुगतान की राशि (₹) में
5 boulder/stone filling behind R/wall P-90)	18.75x0.60x2.00 =22.50cum	18.75x0.60x1.60= 18.00cum	4.50 cum	1150 per cum	5175

30 ठेकेदार का नामः— Sh. Sanjay Kumar Garg

वाउचर संख्या 61 A, दिनांक 25.4.13 राशि ₹282973

(1) कार्य का नामः— C/O Painting/white washing of existing HIMFED building Sector 1, Parwanoo

अनुबन्ध/आंबटन पत्र संख्याः— MC PWN/Award Letter/2012-1620 dated 5.9.12 for ₹68110

चलत बिल संख्या 2nd & Final

माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 62 से 70 तक (R/E) & 69 पृष्ठ 8 से 10 तक (Abstract)

(1) गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹1355/— की राशि का अधिक भुगतानः—

कार्य मद संख्या 3 (माप पुस्तिका संख्या 69 पृष्ठ 9 Abstract of Cost) "Distempering (two coat) with oil bound distemper etc" की कुल कार्य प्रमात्रा 1414.35 वर्ग मीटर 1509.79.ded 95.44) का ₹27 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को राशि ₹38187/— का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 62 से 66 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि गणना की त्रुटि के

कारण निम्न विवरण अनुसार ठेकेदार को ₹1856 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विवरण	**गणना जिसका भुगतान किया गया Sqm में**	**सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए थाsqm में**	**अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा sqm में**	**दर प्रति घन मी0 (₹) में**	**अधिक भुगतान की राशि (₹) में**
Bath room wall (MB67P-64)	2x1x2.90x0.90 =52.20	2x1x2.90x0.90 =5.22sqm	46.98	27	1268
Deduction toilet door (MB 67 P-65)	2x0.85x2.00= 1.70	2x0.85x2.00= 3.40	1.70	27	46
Deduction W (MB 67 P-66)	2x1.30x1.15= 1.49	2.1.30x1.15= 1.49	1.50	27	41
		कुल जोड़	**50.18**	**27 per sqm**	**1355**

(ii) योग की गणना में त्रुटि के कारण ठेकेदार को ₹423/– की राशि का अधिक भुगतानः–

(क) कार्य मद संख्या 2 (माप पुस्तिका संख्या 69 पृष्ठ 9 Abstract of cost) "Finishing wall with water proofing paint/emulsion of approved design etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 950.60 वर्ग मीटर का ₹29 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को राशि ₹27567 का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 66 से 68 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि योग की गणना में त्रुटि के कारण निष्पादित कार्य प्रमात्रा 950.60 वर्ग मीटर की अपेक्षा 936.02 वर्ग मीटर बनता है तथा इस प्रकार 14.58 वर्ग मीटर कार्य प्रमात्रा का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया था जोकि ₹29 प्रति वर्ग मीटर की दर से ₹423 बनता है जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उक्त (क) में वर्णित कार्य मद की कुल प्रमात्रा में से खिड़कियों/दरवाजों/रोशनदान की कोई deduction नहीं की गई थी जिस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति का पता लगाकर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹97/– की राशि का अधिक भुगतानः–

कार्य मद संख्या 4 (माप पुस्तिका संख्या 69 पृष्ठ 10 Abstract of cost) "Painting two coat excluding primary coat on new wood & wood based surfaces etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 197 वर्ग मीटर का ₹26 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को ₹5122/– की राशि का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 68 से 70 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि गणना की त्रुटि के कारण निम्न विवरण अनुसार ठेकेदार को ₹97 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विवरण	**गणना जिसका भुगतान किया गया Sqm में**	**सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था sq m में**	**अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा sq m में**	**दर प्रति घन मीटर (₹) में**	**अधिक भुगतान की राशि (₹) में**
Terrace (MB 67 P-64)	1x2.20x0.90=5.71	1x2.20x0.90=1.98	3.73	26 per sqm	97.00

(iv) कार्य मदों के वास्तविक निष्पादन के बिना ही ठेकेदार को राशि ₹0.57 लाख की राशि का संशयपूर्ण भुगतानः–

वर्णित निर्माण कार्य की माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 62 से 70 तक पर दर्ज रिकार्ड प्रविष्टियों तथा उससे सम्बन्धित माप पुस्तिका संख्या 69 पृष्ठ 8 से 10 तक पर दर्ज Abstract of cost के मिलान सम्बन्धी अंकेक्षण कार्य के दौरान पाया गया कि Abstract of cost में निम्न वर्णित कार्य मदों की निष्पादित कार्य प्रमात्रा के अग्रेषण सम्बन्धी जो माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ का विवरण दिया गया था वहाँ पर कार्य निष्पादन की कोई भी रिकार्ड प्रविष्टियों माप पुस्तिका में दर्ज नहीं थी। इसके अतिरिक्त item "Primary coat over CGI sheets" तो DNIT का हिस्सा भी नहीं थी। इन वर्णित तथ्यों से संशय होता है कि इन कार्य मदों का

ठेकेदार को वास्तविक निष्पादन के बिना ही निम्न विवरण अनुसार अनियमित भुगतान किया गया है जिसे पूर्ण छानबीन उपरान्त पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अनियमित भुगतान की राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ	**कार्य मद का नाम व संख्या**	**कार्य प्रमात्रा जिसका भुगतान किया गया**	**दर प्रति वर्गमीटर (₹) में**	**अधिक भुगतान की राशि (₹) में**
69 P-9 Abstract 67 P-66 & 68 R/E	1 Applying Birla wall care Putty to give fair finish	2364.95sqm	20	47299
69 P-10 Abstract 67 P-68 R/E	4/E.I Primary coat over CGI Sheets	665.88sqm	15	9988
			कुल जोड़	**57287**

(2) कार्य का नामः– C/O Providing Painting Distempering to all the existing parks in MC PWN Sector 1, 1A, 3, 4, 6& grills/railings

अनुबन्ध/आंबटन पत्र संख्याः– MC PWN/Award Letter/2012-1614 dated 5.9.12 for ₹268360

चलत बिल संख्या 1st & Final

माप पुस्तिका 69 पृष्ठ 11 से 13 तक (Abstract)

(ii) गलत गणना के कारण ठेकेदार को ₹1083/– की राशि का अधिक भुगतानः–

(क) कार्य मद संख्या 1 (माप पुस्तिका संख्या 69 पृष्ठ 12 Abstract of cost) "Finishing wall with weather proof exterior grade emulsion of approved design etc" की कुल कार्य प्रमात्रा 2274.19 वर्ग मीटर का ₹29 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को राशि ₹65952 का भुगतान किया गया था। इस कार्य की माप पुस्तिका संख्या 67 पृष्ठ 72 से 76 पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों का अंकेक्षण करने पर विदित हुआ कि गणना की त्रुटि के कारण निम्न विवरण अनुसार ठेकेदार को ₹641/– की राशि का अधिक भुगतान किया गया था

जिसकी वसूली अब सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विवरण	गणना जिसका भुगतान किया गया (Sqm) में	सही गणना जिसका भुगतान किया जाना चाहिए था (Sqm) में	अधिक भुगतान की कार्य प्रमात्रा (Sqm) में	दर प्रति घनमीटर (₹) में	अधिक भुगतान की राशि (₹) में
Toilet ceiling (MB 67 P-72)	3.00x1.85=5.95	3.00x1.85=5.55	0.40		
Front gate piller, children park near goal market sector 1, PWN (MB 67 P-75)	2x1x1.55x0.90=5.89	2x1x1.55x0.90=2.79	3.10		
Path side steps (MB 67 P-75) (MB 67 P-76)	1x1.60x0.20=1.28 1x5.60x0.35=19.60	1x1.60x0.20=0.32 1x5.60x0.35=1.96	0.96 17.64		
		कुल जोड़	**22.10**	**29 per sqm**	**641**

(ख) कार्य मद संख्या 2 माप पुस्तिका संख्या) 69 पृष्ठ 12 Abstract of cost) "Applying Birla wall care putty etc." की कुल कार्य प्रमात्रा 2274.19 वर्ग मीटर का ₹20 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को राशि ₹45483/– का भुगतान किया गया था। कार्य की माप पुस्तिका संख्या 6:7 पृष्ठ 80 पर दर्ज प्रविष्टि अनुसार कार्य प्रमात्रा चूंकि उक्त (क) में वर्णित कार्य मद की प्रमात्रा के बराबर ली गई थी। अतः यथानुसार इस मद में भी उक्त (क) में वर्णित गणना की त्रुटि के कारण 22.10 वर्ग मीटर का ₹20 प्रति वर्ग मीटर की दर से ठेकेदार को ₹442/– की राशि का भुगतान किया गया था जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 ठेकेदार का नामः– Sh. Virender Sharma

वाउचर संख्या 67 दिनांक 31.3.15 राशि ₹1601526

कार्य का नामः– C/O Houses for Urban poor under integrated housing & slum development programme in Parwanoo Distt. Solan (HP) (SH C/O Community Hall over existing parking Sector-1, M.C. Complex Parwanoo)

अनुबन्ध/आंबटन पत्र संख्याः– M.C. PWN/Award letter/2014-328 dated 15.10.14 for ₹3900873

चलत बिल संख्या 1st R/bill

माप पुस्तिका संख्या 82 पृष्ठ 58 से 72 तक

(1) विभागीय भण्डार से जारी किये गये सीमेन्ट बैग की कम वसूली करके ठेकेदार को राशि ₹0.62 लाख का अनुचित लाभ पहुँचानाः–

वर्णित निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार को ₹300/– प्रति बैग की दर से सीमेन्ट जारी किया जाना अनुबन्धित था। उपलब्ध करवाये गये अभिलेख के अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि ठेकेदार को इस निर्माण कार्य हेतु 750 सीमेन्ट बैग विभागीय भण्डार से जारी किये गये थे जिसके विरूद्ध प्रथम चलत बिल की उपभोग विवरणी (Consumption Statement) अनुसार 738 सीमेन्ट के बैग उपभोग (Consume) हुए थे नियमानुसार जिनकी वसूली ठेकेदार के प्रथम चलत बिल से की जानी अपेक्षित थी किन्तु नियमों की अनदेखी करते हुए ठेकेदार से केवल 530 सीमेन्ट बैग की ₹300/–की दर से राशि ₹159000/– की वसूली की गई थी। इस प्रकार 208 सीमेन्ट बैग की ₹300/–की दर से कम वसूली करके ठेकेदार को ₹62400/– की राशि का अवाँछित लाभ पहुँचाया गया है जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वर्णित सीमेन्ट बैग की ठेकेदार से सम्पूर्ण वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) निर्माण कार्य से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति, तकनीकी, स्वीकृति, विस्तृत अनुमान तथा भुगतान दरों के औचित्य अंकेक्षण में सत्यापना हेतु बार–बार आग्रह करने पर भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका समाधान अब वर्णित अभिलेख की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाकर किया जाए।

32 अंकेक्षण को सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना (वाउचर संख्या 62 दिनाँक 31.3.15=₹84375)

श्री प्रहलाद, ठेकेदार को 375 कार्य दिवस की मानव शक्ति ट्राली सहित ₹225/– प्रति दिवस की दर से आपूर्ति करने की एवज में ₹84375 की राशि का भुगतान किया गया था जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) कार्य से सम्बन्धित टेंडर नस्ती, अनुबन्ध, अनुमोदित अनुमान, प्रशासनिक व व्यय स्वीकृति, करवाए गये कार्य व भुगतान की गई दरों का औचित्य अंकेक्षण को बार–बार मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि इस हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 34 दिनांक 20.3.15 द्वारा भी अनुरोध किया गया था जिसकी अनुपस्थिति में वर्णित भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

(ख) माप पुस्तिका संख्या 82 पृष्ठ 40 से 42 तक पर दर्ज विस्तृत प्रविष्टियों में सिर्फ ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये गये मानवशक्ति के कुल कार्य दिवसों व देय भुगतान की गणना का विवरण दिया गया था किन्तु कितनी कार्य मात्रा का कार्य निष्पादित किया गया इसका कोई भी विवरण दर्ज नहीं किया गया था जिसकी अनुपस्थिति में आपूर्ति किये गये मानवशक्ति के कुल कार्य दिवसों के भुगतान का औचित्य स्पट नहीं होता।

अतः उक्त अनियमितता का समाधान अब वर्णित अभिलेख व विस्तृत सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए इसकी सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाकर किया जाए।

33 तत्काल आवश्यकता के बिना लाखों रूपये की वस्तुओं का क्रय करने परिषद निधि को अवरूद्ध करनाः–

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली खण्ड–1 के नियम 15.19 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भण्डार में वस्तुओं के हस्तग्रत शेष युक्तिसंगत समयावधि की आवश्यकताओं से अधिक या निर्धारित मात्रा की सीमा से अधिक नहीं रखे जाने चाहिए। इस नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु एक जिम्मेदार अधिकारी नियतकालिक निरीक्षण करेगा तथा भण्डार में पाई गई आवश्यकता से अधिक, अनुपयोगी व निष्क्रिय वस्तुओं की सूचना सक्षम प्राधिकारी को इन वसतुओं के निस्तारण आदेश जारी करने हेतु प्रस्तुत करेगा। परन्तु चयनित माह के व्यय वाउचरों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान विदित हुआ कि निम्न विवरण अनुसार विभिन्न भण्डार रजिस्टरों में लाखों रूपये की क्रय की गई वस्तुएं लगभग दो वर्षों से भी अधिक समय से अनुपयोग पड़ी थी जिनका अंकेक्षण अवधि तक उपयोग नहीं दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त नियमानुसार भण्डार में शेष वस्तुओं का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों से संशय उत्पन्न होता है भण्डार में शेष अनुसार वस्तुएं वास्तविकता में भौतिक रूप में मौजूद है भी कि नहीं तथा ऐसे में इन वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण

छानबीन करके वस्तुस्थिति का पता लगाकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रमाँक	तिथि जब से वस्तुएँ भण्डार में अनुपयुक्त पड़ी है	वस्तु का नाम	भण्डार में शेष पड़ी वस्तुओं की मात्रा	वस्तुओं की दर (₹) में	वस्तुओं का कुल मूल्य (₹) में	सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर पृ0सं0
(A) Sanitation stock register Vol-1/2012						
1	22.11.12/27	SFRC Mainhole cover 500mm dia with frame	50 No.	1240+12.5& vat +5% SC	70138	2 (MB 69 P-33 & 34)
2	24.11.12	SFRC Mainhole cover with ring 560mm	50 No.	1310+12.5% vat+5%SC	74097	15& 16 (MB 69 P-33 & 34)
3	9.7.13	Gokilant (Pesticide & insecticide) 1ltr. pack	10ltr.	904.76+5% vat	9500	32
4	9.7.13	Mythile parathion Dust 2% (25Kg Bag)	10 bag	523.75+5%vat	5500	33
5	15.2.13	Mapple organic	80ltr.	340	27200	36
(B) Consumable stock register Vol-1/2012						
6	20.3.13	80mm thick interlocking tiles	15000	16.50	247500	1
7	29.1.13	60mm thick interlocking floor tiles	40000	16.50 (Approx)	660000	17 & 18
8	17.12.13	80mm thick interlocking tiles	27000	18.90 I/C vat	510300	123 (MB 69 P 33& 34)
9	17.10.13	80mm thick interlocking tiles	11000	18.90 I/C vat	207900	74 (MB 69 P-33 & 34)

10	17.12.12	19mm Board 2.44x1.22m	29.80 sqm	794.63+13.75 % vat	26936	67
11	17.12.12	19mm Board 1.84x1.22m	22.40 sqm	792.86+13.75% vat	20202	68
12	17.12.12	6mm Board/ply 1.84x1.22m	13.52 sqm	170.41+13.75% vat	2621	69
13	17.12.12	4mm Ply 2.44x1.22m	20.86 sqm	410.42+13.75% vat	9739	70
14	17.12.12	Fevicol	5Kg	736.70 per 5Kg+13.75% vat	838	71
15	**In addition to above there were stock of sanitary/hardware goods lying unused ranging 2-3 years valuing several lakh of rupees as per Page-19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38 to 66, 75 to 77,98 to 113, 116 to 121 & 145 to 151**					
(C) Moveable property register						
1	-	M.S. Angle 65x65x6mm	1367.02Kg	72	98425	54 (MB 57 P-40 & 42)
2	-	G.I. Pipe ¾	665.50 Rmt	150	99825	51 (MB 57 P-40 & 42)
				कुल जोड़	**2070721**	

34 वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर में कम गणना करने के कारण सम्भावित दुर्विनियोजनः—

चयनित माह के व्यय/भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गये सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार ₹1105/— मूल्य की क्रय की गई वस्तुओं की स्टॉक रजिस्टर में कम गणना की गई थी जिसके कारण इनके दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस अनियमितत का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा वर्णित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वा0सं0 व दिनांक	विक्रेता का नाम व बिल संख्या	क्रय की गई परन्तु का नाम	क्रय की गई वस्तु की मात्रा	स्टॉक रजिस्टर में ली गई मात्रा	मात्रा में अन्तर	दर (₹) में	राशि (₹) में	स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0
51/20.4. 13=₹203789	M/S Aggarwal & Co. Parwanoo bill No. 1498 dated 31.12.12=`46611	Stainer violet 200gm	15 No.	5 No.	10 no.	70	700	MB No. 68 P-3& 4 MAS Vol-1 P-6 & 7
63/25.4. 13=77221	M/SVee ARR Trading Co. Sec. 1 Parwanoo, bill No. 4012 dated 27.2.13=`77221	¾ corner Beeding	150 Rft.	15 Sft.	135Sft	3	405	MB No. 68 P-76 MAS Vol-1 P-10
							1105	

35 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन (Physical Verification) न करनाः–

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी वस्तुओं का प्रतयक्ष सत्यापना करेगें तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से करेगें और कोई अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर परिषद द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना के कारण अनियमित है अगर समयानुसार इन प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई होती तो सम्भव था कि पैरा 35 में वर्णित अनियमितताएं न होती। क्योंकि नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष किया जाना अपेक्षित है। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए स्टोर/स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी दुर्विनियोजन/Pileferage की सम्भावना से बचा जा सके तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 ठेकेदार को बिना औचित्य/इंडेंट के ₹0.46 लाख मूल्य के 214 बोरी सीमेन्ट भण्डार से जारी करना तथा इसकी वसूली न दर्शानाः–

सीमेन्ट भण्डार लेखो का उपलब्ध करवाए गये सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि दिनांक 6.4.13 को 214 सीमेन्ट बैग श्री वीरेन्द्र शर्मा ठेकेदार को निर्माण कार्य "Providing External Sewerage System in industrial plot No. 12 to Industrial Shed RD 0/00 to 0/250 हेतु जारी किये गए थे (सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर खण्ड–III पृष्ठ 4) जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका नियमानुसार यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(i) वर्णित निर्माण कार्य का आंबटन कार्यकारी अधिकारी के पत्र संख्या MC/PWN/2012, 2032-35 द्वारा दिनांक 29.9.12 को ₹839052 में किया गया था तथा आंबटन पत्र/अनुबन्ध में विभागीय भण्डार से सीमेन्ट व जारी करने की दर को कोई उल्लेख नहीं था।

(ii) DNIT में वर्णित Schedule of quantity के अनुसार निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लगभग 100 बैग सीमेन्ट की ही आवश्यकता थी।

(iii) माप पुस्तिका संख्या 61 पृष्ठ 93 अनुसार प्रथम चलत बिल द्वारा भुगतान किए गए निर्माण कार्य के निष्पादन के माप व MB में प्रविष्टि की तिथि 13.2.13 थी तथा इसमें लगभग 90% सीमेन्ट का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था क्योंकि सीमेन्ट से सम्बन्धित मुख्य निर्माण कार्य C/O Manhole with RCC slab in 1:2:4 था जिसकी कुल मात्रा 10 नं0 में से 9 नं0 का भुगतान प्रथम चलत बिल में शामिल था किन्तु ठेकेदार से सीमेन्ट की कोई भी वसूली इस बिल से नहीं की गई थी।

(iv) दिनांक 13.2.13 को सीमेन्ट का 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को एकमुश्त में 214 बारी सीमेन्ट बिना इंडेंट के जारी करने का औचित्य नहीं बनता है तथा इंडेंट सहित इसकी वसूली का अभिलेख अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/2015 दिनांक 1.6.15 द्वारा मांगने के बावजूद भी प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितिता है।

उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं से भण्डार से 214 सीमेन्ट बैग, जिसका विभागीय निर्गम दर ₹214 प्रति बोरी अनुसार ₹45796/– बनता है, जारी करके ठेकेदार से वसूली न करना संशयपूर्ण प्रतीत होता है तथा ऐसे में सीमेन्ट के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता जिसकी पूर्ण छानबीन उपरान्त नियमानुसार उचित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

37 वाहनों की तय औसत से कम औसत दर्शाने के कारण राशि ₹1.04 लाख का अनियमित व्ययः—

(क) कार्यकारी अधिकारी के पत्र संख्या 22/PWN/2013-1596 दिनांक 31.7.13 द्वारा सूचित किया गया था कि विभागीय बलेरो गाड़ी संख्या HP-15B-3535 की मासिक तेल खपत 10 कि0मी0 प्रति लीटर निर्धारित है किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित माह में तय औसत से कम औसत दर्शाई गई थी जोकि अनियमित है तथा इसके परिणाम स्वरूप ₹46627/—की राशि की तेल खपत अधिक की गई जिसे या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अनियमित व्यय की राशि की पूर्ण छानबीन उपरान्त सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माह	वाहन द्वारा तय कुल दूरी (कि0मी0 में)	डीजल की कुल खपत (लीटर में)	तेल खपत वास्तविक औसत (प्रति कि0मा0/लीटर में)	तेल खपत की तय औसत (प्रति कि0मी0/ लीटर में)	डीजल की कुल खपत जो तय औसत अनुसार होनी चाहिए (लीटर में)	अधिक तेल खपत की मात्रा (लीटर में)	तेल की दर (₹ प्रति लीटर में)	अधिक तेल खपत की राशि (₹) में
4/14	2750	385	7.14	10	275	110	54.20	5962
5/14	4200	588	7.14	10	420	168	55.39	9306
6/14	4100	560	7.32	10	410	150	55.94	8391
7/14	4050	552	7.33	10	405	147	55.49	8157
8/14	3000	350	8.57	10	300	50	57.04	2852
9/14	4000	425	9.41	10	400	25	57.59	1440
10/14	3050	324.12	9.41	10	305	19.12	54.31	1038
12/14	2300	287.05	8.00	10	230	57.05	49.35	2815
1/15	2700	337.05	8.00	10	270	67.05	47.95	3215
2/15	1400	175	8.00	10	140	35	46.32	1621
3/15	1500	187.05	8.00	10	150	37.05	49.39	1830
						कुल जोड़		**46627**

(ख) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार नगर परषिद के पास दो Dumper Placer है। इनकी लॉग बुक का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि एक Dumper Placer HP-15-9333 की औसत 4कि0मी0 प्रति लीटर

तथा डम्पर प्लेसर HP-15-2798 की औसत 3.5 कि0ग्रा0 प्रतिलीटर दर्शाई गई है जबकि यह लगभग एक समान होनी चाहिए थी। इस अनियमितता के कारण डम्पर प्लेसर एच0पी0–15–2798 में अंकेक्षण अवधि 1.4.13 से 31.3.15 दौरान निम्नविवरण अनुसार 1156.40 लीटर तेल की अधिक खपत की गई जिसका मूल्य दिनांक 31.3.15 को प्रचलित दर ₹49.39 प्रति लीटर के हिसाब से ₹57115 बनता है जिसे या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अनियमित तेल की अधिक खपत की राशि की पूर्ण छानबीन उपरान्त सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अवधि	**1.4.13 को प्रारम्भिक रीडिंग**	**31.3.15 को अन्तिम रीडिंग**	**वाहन द्वारा तय कुल दूरी (कि0मी0 में)**	**डीजल की कुल खपत लीटर में**	**तेल खपत की वास्तविक औसत (प्रति 0मी0/ लीटर मे)**	**तेल खपत की औसत जो होनी चाहिए थी (प्रगति कि0मी0/लीटर में)**	**डीजल की कुल खपत जो तय औसत अनुसार होनी चाहिए (लीटर में)**	**अधिक तेल खपत की मात्रा (लीटर में)**
1.4.13 से 31.3.15	162772	195536	32764	9347.40	3.5	4.00	8191	1156.40

38 वाहन में भरे गये डीजल को माहवार औसत की गणना में न लेने के परिणामस्वरूप ₹6571/– की राशि के डीजल का सम्भावित दुर्विनियोजनः–

(क) वाहन (डम्पर प्लेचर) संख्या एच0पी0–15–2798 की लॉग बुक का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार वाहन में भरे गये डीजल को माहवार औसत की गणना में नहीं लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹6529/– की राशि के डीजल का सम्भावित दुर्विनियोजन प्रतीत होता है जिसे पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

माह व लॉग बुक पृ0सं0	कुल तेल खपत जो औसत की गणना में ली गई (लीटर में)	कुल तेल खपत तो औसत की गणना में ली जानी चाहिए थी (लीटर में)	तेल की गणना में अन्तर (लीटर में)	विकेता व क्रय किए गए तेल की राशि का विवरण				
				M/S Tarun Filling Center Parwanoo, Distt Solan (HP)				
				बिल संख्या / दिनांक	वाहन में भरने की तिथि	वाहन में भरे गए तेल की मात्रा (ली0 में)	तेल की क्रय दर (₹ प्रति लीटर में)	भुगतान राशि (₹) में
6/2014/P-120	434	464	30	186/30-6-14	22.6.14	30	55.94	1678.20
7/2014/P/123	433	458	25	262/31-7-14	16.7.14	25	56.49	1412.25
6/2014/P-120	432	462	30	327/31-8-14	12.8.14	30	57.04	1711.20
6/2014/P-120	431	461	30	395/30-9-14	17.9.14	30	57.59	1727.70
				कुल जोड़				**6529.35 say 6529**

(ख) वाहन (ट्रेक्टर) संख्या एच0पी0–15 बी–9305 की लॉग बुक का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि दिनांक 30.4.13 को फ्यूल टैंक में तेल का अन्तिम शेष 45.88 लीटर (पृष्ठ 157) दर्शाया गया था जबकि अगले माह का दिनांक 1.5.13 को फ्यूल टैंक में तेल का प्रारम्भिक शेष 45 लीटर (पृष्ठ 159) लिया गया जोकि 0.88 लीटर कम था। इस अनियमितता के परिणामस्वरूप ₹42 (0.88 लीटरx₹47.60) प्रति लीटर की दर से की राशि के डीजल का सम्भावित दुर्विनियोजन हुआ प्रतीत होता है जिसे पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

38 वाहनों में फ्यूल टैंक की क्षमता से डीजल की अधिक भराई करने के कारण ₹209 की राशि के डीजल का सम्भावित दुर्विनियोजनः–

वाहनों की लॉग बुक का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार वाहनों में डीजल फ्यूल टैंक की क्षमता से अधिक भराई की गई थी जिसके कारण ₹209 की राशि की डीजल का सम्भावित

दुर्विनियोजन हुआ प्रतीत होता है जिसे पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो न्यायेाचित ठहराया जाए अनयथा वर्णित राश्यिा की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वाहन संख्या	दिनाँक	फ्यूल टैंक में दर्शाया गया शेष (लीटर में)	फ्यूल टैंक की क्षमता (लीटर में)	फ्यूल टैंक में क्षमता से अधिक तेल की मात्रा (लीटर में)	दर (₹ प्रति लीटर में)	राशि (₹) में
Balero Jeep HP-15B-3535	12/2013	60.7	60	0.7	52.56	37
Dumper Placer HP-15-2798	31.8.14	91.0	90	1.0	57.04	57
	31.1.15	92.4	90	2.4	47.95	115
					कुल जोड़	**209**

39 लॉग बुकों से सम्बन्धित मिश्रित अनियमितताऐंः–

वाहन संख्या Balero Jeep HP-15B-3535

(क) अवधि 2.9.13 से 31.7.14 तक वाहन द्वारा तय 27393 कि0मी0 दूरी की यात्रा को वाहन प्रयोग करने वाले अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण वर्णित दूरी की यात्रा अनाधिकृत है जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए या तो सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाए अन्यथा अनाधिकृत यात्रा हेतु 10कि0मी0 प्रति लीटर की औसत से खर्च किये गये 274 लीटर तेल के मूल्य=लगभग ₹13042 (274 लीटरX47.60 प्रति लीटर)की भरपाई सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) नियमानुसार लॉग बुक में वाहन द्वारा Point to Point तक तय प्रत्येक दूरी को स्पष्ट रूप में दर्शाया जाना अपेक्षित है किन्तु ऐसा न करके उदाहरण स्वरूप निम्न वर्णित प्रकरणों में वाहन द्वारा विभिन्न स्थानों तक तय की गई दूरी को एक मुश्त दर्शाया गया था जोकि अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वाहन द्वारा तक तय प्रत्येक दूरी से

स्पष्ट रूप में विवरण दर्शाकर तय की गई कुल दूरी की सत्यापना सक्षम अधिकारी से करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

दिनाँक	प्रारम्भिक रीडिंग	अन्तिम रीडिंग	वाहन द्वारा तय कुल दूरी (कि0मी0 में)	यात्रा का उद्देश्य तथा स्थान
21.4.14 से 22.4.14	97806	98271	465	Workshop HIPA Parwanoo to Shimla Local Shimla to HIPA back Parwanoo
28.4.14 से 29.4.14	98638	99103	465	Workshop HIPA SWM & PPP & Local
1.5.14	99133	99583	450	Election duty Parwanoo to Solan Local & back Kasaulli Local back Parwanoo Local back Kasauli Local back Parwanoo
2.5.14	99583	100033	450	-do-
3.5.14	100033	100483	450	-do-
4.5.14	100483	100933	450	-do-
5.5.14	100933	101383	450	-do-
6.5.14	101383	101833	450	-do-
7.5.14	101833	102283	450	-do-

(ग) दिनांक 22.4.13 को प्रारम्भिक रीडिंग 78902 अन्तिम रीडिंग 78850 तथा तय दूरी 48 कि0मी0 दर्शाई गई थी जोकि अनुचित है वास्तविकता में अन्तिम रीडिंग 78950 कि0मी0 होनी चाहिए थी। इस त्रुटि के कारण 100 कि0मी0 (78950कि0मी0–78850 कि0मी0) की यात्रा दोबारा तय दर्शाई गई व 10 लीटर प्रति कि0मी0 की औसत से 10 लीटर तेल खपत का खर्च ₹476 (10 लीटरX₹47.60 प्रति लीटर) भी जिसे या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अनियमित खर्च की राशि की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

40 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—**

सभी लघु आपतियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

41 **निष्कर्षः—**लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय—2 पर अद्यतन (Updation) एवम पूर्ण करने व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरो पर ठोस तथा तुरन्त कार्रवाई करने की नितान्त आवश्यकता है।

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(V) 66/79 खण्ड—5 दिनांक, शिमला—171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला—171002 को को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद परवाणू जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009

परिशिष्ट "क"

अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 1 (ग) के सन्दर्भ में।

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/88

1	पैरा–9 (i) से (iii)	अनिर्णीत
2	पैरा–15	अनिर्णीत
3	पैरा–18	अनिर्णीत
4	पैरा–19	अनिर्णीत
5	पैरा–26	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/90

1	पैरा–10	अनिर्णीत	
2	पैरा–11	निर्णीत	vide Addl. Director inspection note No. 1-548/2011 Fin (LA) Vool-1 dated 16.4.15
3	पैरा–12	निर्णीत	vide Addl. Director inspection note No. 1-548/2011 Fin (LA) Vool-1 dated 16.4.15
4	पैरा–13	अनिर्णीत	
5	पैरा–15	अनिर्णीत	
6	पैरा–22	अनिर्णीत	
7	पैरा–23	अनिर्णीत	
8	पैरा–27	अनिर्णीत	
9	पैरा–28	अनिर्णीत	
10	पैरा–29	अनिर्णीत	

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/95

1	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत

4	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत	
6	पैरा–7 (3)	अनिर्णीत	
7	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत	
8	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत	
11	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत	
12	पैरा–10 (क)	निर्णीत	vide Addl. Director inspection note No. 1-548/2011 Fin (LA) Vool-1 dated 16.4.15
13	पैरा–10 (ग)	अंशतः अनिर्णीत	राशि ₹19500 की वसूली शेष है।
14	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत	
16	पैरा–15 (च)	अनिर्णीत	
17	पैरा–15 (छ)	अंशतः अनिर्णीत	राशि ₹1250 की वसूली शेष है।
18	पैरा–16 (7)	अनिर्णीत	
19	पैरा–16 (8)	अनिर्णीत	
20	पैरा–16 (10)	अनिर्णीत	
21	पैरा–17 (1)	अनिर्णीत	
22	पैरा–17 (3)	अनिर्णीत	
23	पैरा–17 (4)	अनिर्णीत	
24	पैरा–18 (i) (1)	अनिर्णीत	
25	पैरा–18 (i) (2)	अनिर्णीत	
26	पैरा–18 (1) (5) से 18 (1) (7)	अनिर्णीत	
27	पैरा–18 (3) (4)	अनिर्णीत	
28	पैरा–18 (6)	अनिर्णीत	
29	पैरा–18 (7) (3) से (13)	अनिर्णीत	

30	पैरा–19 (1) (2)	अनिर्णीत	
31	पैरा–19 (3) (i) (क)	अनिर्णीत	
32	पैरा–19 (4)	अनिर्णीत	
33	पैरा–19 (5) व (6)	अनिर्णीत	
34	पैरा–19 (7) (1) (ख) (ग)	अनिर्णीत	
35	पैरा–19 (7) (2) (3) (4) (5)(6)	अनिर्णीत	
36	पैरा–19 (8) (क) (ख) (ग) (घ)	अनिर्णीत	
37	पैरा–19 (9)	अनिर्णीत	
38	पैरा–20 (1)	अनिर्णीत	
39	पैरा–20 (6) (7)	अनिर्णीत	
40	पैरा–22 (1)	अनिर्णीत	
41	पैरा–22 (1) (क, ख)	अनिर्णीत	
42	पैरा–22 (1) (ग)	निर्णीत	vide Addl. Director inspection note No. 1-548/2011 Fin (LA) Vool-1 dated 16.4.15
43	पैरा–22 (घ, ङ, च, छ, ज, झ, 1, 2, 3)	अनिर्णीत	
44	पैरा–23 (2)	अनिर्णीत	
45	पैरा–24 (1 से 7)	अनिर्णीत	
46	पैरा–24 (12) (13)	अनिर्णीत	
47	पैरा–25 (1) (क) (ख) (ग)	निर्णीत	vide Addl. Director inspection note No. 1-548/2011 Fin (LA) Vool-1 dated 16.4.15
48	पैरा–25 (2) (i)(ii)(iii) (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत	
49	पैरा–25 (2) (iv)	अनिर्णीत	
50	पैरा–25 (3) (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत	

51	पैरा–25 (3) (i) (ii)	अनिर्णीत	
52	पैरा–25 (4) (5) (6)	अनिर्णीत	
53	पैरा–26	अनिर्णीत	
54	पैरा–27 (1) (ख) (ग) (घ)	अनिर्णीत	
55	पैरा–27 (2) (3) (4) (5) (क) (ख)	अनिर्णीत	
56	पैरा–28 (1) से (7) तक	अनिर्णीत	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेंदन अवधि 4/95 से 3/98

1	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा–5 (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ)	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (क) (ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा–9 (ख) (ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा–10 (क) (ख)	अनिर्णीत	
6	पैरा–11 (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत	
7	पैरा–13 (ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा–14 (क) (2)	अशतः अनिर्णीतं	राशि ₹1012/–को वसूली शेष है।
9	पैरा–14 (क) (3) (4)	अनिर्णीत	
10	पैरा–15 (ख) (1) (2)	अनिर्णीत	
11	पैरा–18 (घ) (ण)	निर्णीत	vide Addl. Director inspection note No. 1-548/2011 Fin (LA) Vool-1 dated 16.4.15
12	पैरा–20 (क) (i) से (v)	अनिर्णीत	
13	पैरा–20 (ख)	अनिर्णीत	
14			
15	पैरा–21 (ख)	अनिर्णीत	

16	पैरा–22 (क)	अंशतः अनिर्णीत	₹12700/–को वसूली शेष है।
17	पैरा–22 (ख) 1, 2, 3	निर्णीत	vide Addl. Director inspection note No. 1-548/2011 Fin (LA) Vool-1 dated 16.4.15
18	पैरा–22 (ङ)	अनिर्णीत	
19	पैरा–22 (च)	अनिर्णीत	
20	पैरा–22 (घ) (i) से (vi)	अनिर्णीत	
21	पैरा–23 (ग) (घ)	अनिर्णीत	
22	पैरा–24 (ख) (i) से (vi)	अनिर्णीत	
23	पैरा–24 (ग)	अनिर्णीत	
24	पैरा–24 (घ) (i) (iii)	अनिर्णीत	
25	पैरा–24 (ङ) (i) से (vi)	अनिर्णीत	
26	पैरा–24 (च) (ii)	अनिर्णीत	
27	पैरा–24 (ज) (झ) (ञ)	अनिर्णीत	
28	पैरा–24 (ठ) (ड)	अनिर्णीत	
29	पैरा–25 (ii)	अनिर्णीत	
30	पैरा–27 (क) (ख) (ग) (घ)	अनिर्णीत	
31	पैरा–28 (क) (ख)	अनिर्णीत	
32	पैरा–29 (क) (ख) (घ)	अनिर्णीत	
33	पैरा–30 (क) 1, 2	अनिर्णीत	
34	पैरा–30 (ख)	अनिर्णीत	
35	पैरा–30 (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ)	अनिर्णीत	
36	पैरा–31 (क) (ख)	अनिर्णीत	
37	पैरा–32 (क)	अनिर्णीत	
38	पैरा–34 (ए) (ii)	अनिर्णीत	
39	पैरा–34 (बी) (ii)	अनिर्णीत	
40	पैरा–34 (सी) (iii)	अनिर्णीत	

41	पैरा–34 (डी) (ई) (एफ) (जी) (एच) (आई) (जे) (के) (एल)	अनिर्णीत
42	पैरा–34 (एन) (ओ) (पी)	अनिर्णीत
43	पैरा–34 (आर)	अनिर्णीत
44	पैरा–34 (एस से जैड तक)	अनिर्णीत
45	पैरा–34 (ए ए से के के तक)	अनिर्णीत
46	पैरा–34 (एम एम से आर आर) तक	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2005

1	पैरा–5 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (2)(3)(4)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (1)(2)(3)(4)	अनिर्णीत
6	पैरा–8 (1)(2)(3)	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (1)(2)(3)(4)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (5) 1 से 3	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (6)(7)(8)(9)	अनिर्णीत
10	पैरा–10 (1)(2)(3)(4)(5)	अनिर्णीत
11	पैरा–11 (क)(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा–11 (ग) 1 से 3	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (घ)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (1) से (5) तक	अनिर्णीत
15	पैरा–13 (4) (5)	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
17	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
18	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
19	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत

20	पैरा–15 (2)	अनिर्णीत
21	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
22	पैरा–16 (5)	अनिर्णीत
23	पैरा–17 (1)	अनिर्णीत
24	पैरा–17 (2) (क)	अनिर्णीत
25	पैरा–17 (2) (ख)	अनिर्णीत
26	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
27	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
28	पैरा–21	अनिर्णीत
29	पैरा–22	अनिर्णीत
30	पैरा–23 (ख)	अनिर्णीत
31	पैरा–23 (ग) (1)	अनिर्णीत
32	पैरा–23 (ग) (2)	अनिर्णीत
33	पैरा–23 (ग) (3)	अनिर्णीत
34	पैरा–23 (ग) (4) (1)	अनिर्णीत
35	पैरा–23 (ग) (4) (2)	अनिर्णीत
36	पैरा–25 (क) (1)	अनिर्णीत
37	पैरा–25 (क) (2)	अनिर्णीत
38	पैरा–25 (ख) (1)	अनिर्णीत
39	पैरा–25 (ख) (2)	अनिर्णीत
40	पैरा–25 (ख) (3)	अनिर्णीत
41	पैरा–26 (1)	अनिर्णीत
42	पैरा–26 (2)	अनिर्णीत
43	पैरा–26 (3)	अनिर्णीत
44	पैरा–26 (4)	अनिर्णीत
45	पैरा–27 (1) (क)	अनिर्णीत
46	पैरा–27 (1) (ख)	अनिर्णीत
47	पैरा–27 (1) (ग)	अनिर्णीत
48	पैरा–27 (2) (क)	अनिर्णीत

49	पैरा–27 (2) (ख)	अनिर्णीत
50	पैरा–27 (2) (ग)	अनिर्णीत
51	पैरा–27 (3) (क)	अनिर्णीत
52	पैरा–27 (3) (ख)	अनिर्णीत
53	पैरा–27 (3) (ग)	अनिर्णीत
54	पैरा–27 (3) (घ)	अनिर्णीत
55	पैरा–27 (3) (ङ)	अनिर्णीत
56	पैरा–27 (4) (क)	अनिर्णीत
57	पैरा–27 (4) (ख)	अनिर्णीत
58	पैरा–27 (4) (ग)	अनिर्णीत
59	पैरा–27 (4) (घ)	अनिर्णीत
60	पैरा–27 (5) (क) से (ग) तक	अनिर्णीत
61	पैरा–27 (5) (घ)	अनिर्णीत
62	पैरा–27 (5) (ङ)	अनिर्णीत
63	पैरा–27 (6)	अनिर्णीत
64	पैरा–27 (8) (क)	अनिर्णीत
65	पैरा–27 (8) (ख)	अनिर्णीत
66	पैरा–27 (8) (ग)	अनिर्णीत
67	पैरा–27 (8) (घ)	अनिर्णीत
68	पैरा–27 (9) (क)	अनिर्णीत
69	पैरा–27 (10) (क)	अनिर्णीत
70	पैरा–27 (10) (ख)	अनिर्णीत
71	पैरा–27 (10) (ग)	अनिर्णीत
72	पैरा–27 (10) (घ)	अनिर्णीत
73	पैरा–27 (10) (ङ)	अनिर्णीत
74	पैरा–27 (10) (च)	अनिर्णीत
75	पैरा–27 (11) (क)	अनिर्णीत
76	पैरा–27 (11) (ख)	अनिर्णीत
77	पैरा–27 (11) (ग)	अनिर्णीत

78	पैरा–27 (11) (घ)	अनिर्णीत
79	पैरा–27 (11) (ङ)	अनिर्णीत
80	पैरा–27 (12) (क)	अनिर्णीत
81	पैरा–27 (12) (ख)	अनिर्णीत
82	पैरा–27 (12) (ग)	अनिर्णीत
83	पैरा–27 (12) (घ)	अनिर्णीत
84	पैरा–27 (13)	अनिर्णीत
85	पैरा–28 (1)	अनिर्णीत
86	पैरा–28 (2)	अनिर्णीत
87	पैरा–28 (3)	अनिर्णीत
88	पैरा–28 (4)	अनिर्णीत
89	पैरा–28 (5) (क)	अनिर्णीत
90	पैरा–28 (5) (ख)	अनिर्णीत
91	पैरा–28 (5) (ग)	अनिर्णीत
92	पैरा–28 (5) (घ)	अनिर्णीत
93	पैरा–28 (5) (ङ)	अनिर्णीत
94	पैरा–28 (5) (च)	अनिर्णीत
95	पैरा–28 (6)	अनिर्णीत
96	पैरा–28 (7)	अनिर्णीत
97	पैरा–28 (8) (1)	अनिर्णीत
98	पैरा–28 (8) (2)	अनिर्णीत
99	पैरा–28 (9)	अनिर्णीत
100	पैरा–28 (10)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा–4 (vi)	अनिर्णीत	
2	पैरा–4 (vii)	अनिर्णीत	
3	पैरा–4 (ix)	निर्णीत	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
4	पैरा–4 (x)	अनिर्णीत	

5	पैरा–4 (xi)	अनिर्णीत	
6	पैरा–4 (xii)	निर्णीत	पुनरावलोकन व सम्बन्धित अभिलेख में प्रतिभूति की प्रविष्टि करने पर निर्णीत
7	पैरा–4 (xiii)	अनिर्णीत	
8	पैरा–4 (xiv)	अनिर्णीत	
9	पैरा–4 (xv)	अनिर्णीत	
10	पैरा–4 (xvi)	अनिर्णीत	
11	पैरा–4 (xvii)	अनिर्णीत	
12	पैरा–4 (xviii)	अनिर्णीत	
13	पैरा–4 (xx)	अनिर्णीत	
14	पैरा–4 (xxi)	अनिर्णीत	
15	पैरा–5 (vii)	अनिर्णीत	
16	पैरा–6	अनिर्णीत	
17	पैरा–6 (i) (क)	अनिर्णीत	
18	पैरा–6 (i) (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा–7 (i) (क)	अनिर्णीत	
20	पैरा–7 (i) (ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा–7 (i) (घ)	अनिर्णीत	
22	पैरा–7 (i) (छ)	अनिर्णीत	
23	पैरा–7 (i) (ज)	अनिर्णीत	
24	पैरा–7 (ii)	अनिर्णीत	
25	पैरा–7 (v)	निर्णीत	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
26	पैरा–7 (vi)	अनिर्णीत	
27	पैरा–7 (vii)	अनिर्णीत	
28	पैरा–7 (viii) (क)	अनिर्णीत	
29	पैरा–7 (viii) (ख)	अनिर्णीत	
30	पैरा–8 (i)	अनिर्णीत	

31	पैरा–8 (iii)	अनिर्णीत	
32	पैरा–9 (i)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व सम्बन्धित अभिलेख के रख रखाव करने पर निर्णीत
33	पैरा–9 (ii)	अनिर्णीत	

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (च)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (झ)	अनिर्णीत	
4	पैरा–7 (घ)	निर्णीत	स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र से जन्म तिथि के सत्यापन करने पर निर्णीत
5	पैरा–7 (ङ)	निर्णीत	जन्म प्रमाण पत्र से तथ्यों का सत्यापन करने पर निर्णीत
6	पैरा–7 (च)	अनिर्णीत	चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म निधि के सत्यापन करने पर निर्णीत
7	पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत	
8	पैरा–9 (क) (1)	अनिर्णीत	
9	पैरा–9 (क) (3)	अनिर्णीत	
10	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत	
11	पैरा–9 (ग) (1)	अनिर्णीत	
12	पैरा–9 (ग) (2)	अनिर्णीत	
13	पैरा–9 (ग) (3)	अनिर्णीत	
14	पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत	
15	पैरा–9 (ञ)	अनिर्णीत	
16	पैरा–9 (ठ)	अनिर्णीत	
17	पैरा–9 (ड)	अनिर्णीत	
18	पैरा–9 (ढ)	अनिर्णीत	
19	पैरा–9 (त)	अनिर्णीत	

20	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
21	पैरा–11 (क) व (ख)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1	पैरा–4	अनिर्णीत	
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–7.1	अनिर्णीत	
4	पैरा–7.2	अनिर्णीत	
5	पैरा–9	अनिर्णीत	
6	पैरा–10	अनिर्णीत	
7	पैरा–12.1	अनिर्णीत	
8	पैरा–13	अनिर्णीत	
9	पैरा–17	अनिर्णीत	
10	पैरा–17.1	अनिर्णीत	
11	पैरा–19.1	निर्णीत	अंकेक्षण के सुझावानुसार अवकाश खातों में प्रविष्टियाँ करने पर निर्णीत
12	पैरा–21	अनिर्णीत	
13	पैरा–23	अनिर्णीत	
14	पैरा–26	अनिर्णीत	
15	पैरा–26.1	अनिर्णीत	
16	पैरा–26.2	अनिर्णीत	
17	पैरा–26.3	अनिर्णीत	
18	पैरा–27	अनिर्णीत	
19	पैरा–27.1	अनिर्णीत	
20	पैरा–27.2	अनिर्णीत	

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा–3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर निर्णीत
2	पैरा–4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम वित्तीय स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत

3	पैरा–5	निर्णीत	अंकेक्षण के सुझावानुसार आवश्यक कार्रवाई करने पर निर्णीत
4	पैरा–6	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
5	पैरा–6.1	निर्णीत	सम्बन्धित विभागों को भेजने पर व वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत
6	पैरा–6.2	निर्णीत	सम्बन्धित विभागों को भेजने पर व वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत
7	पैरा–7	अनिर्णीत	
8	पैरा–8.1	अनिर्णीत	
9	पैरा–8.2	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
10	पैरा–8.3	अनिर्णीत	
11	पैरा–8.4	निर्णीत	अंकेक्षण के सुझावानुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना करने पर निर्णीत
12	पैरा–8.5	निर्णीत	अंकेक्षण के सुझावानुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना करने पर निर्णीत
13	पैरा–8.6	अनिर्णीत	
14	पैरा–8.7	अनिर्णीत	
15	पैरा–8.8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
16	पैरा–8.9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
17	पैरा–8.9 (क)	निर्णीत	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
18	पैरा–8.9 (ख)	निर्णीत	वर्णित रजिस्टर का रख रखाव करने पर निर्णीत

19	पैरा–8.10	अनिर्णीत	
20	पैरा–8.11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के प्रारूपण करने पर निर्णीत/समाप्त
21	पैरा–9.1	अनिर्णीत	
22	पैरा–10.1	अनिर्णीत	
23	पैरा–10.2	अनिर्णीत	
24	पैरा–10.3	निर्णीत	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
25	पैरा–10.4	अनिर्णीत	
26	पैरा–10.5	निर्णीत	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
27	पैरा–10.6	निर्णीत	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
28	पैरा–10.7	निर्णीत	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
29	पैरा–10.8 (1)	अनिर्णीत	
30	पैरा–10.8 (2)	निर्णीत	वर्णित राशि की वसूली करने पर निर्णीत
31	पैरा–10.9	अनिर्णीत	
32	पैरा–10.10	अनिर्णीत	
33	पैरा–11	निर्णीत	स्टॉक में गणना तथा सक्षम प्राधिकारी के भौतिक सत्यापन करने पर निर्णीत
34	पैरा–12	निर्णीत	अंकेक्षण के सुझावानुसार कृत कार्रवाई की सत्यापना करने पर निर्णीत
35	पैरा–13 (क)	अनिर्णीत	
36	पैरा–13 (ख)	अनिर्णीत	